Rules of

The Faizabad Bar Association

FAIZABAD

(President) *(Secretary)*

Faizabad Bar Association, Faizabad

संख्या 1623/150616

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 399/2016-2017

फाइल संख्या I-173

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बार एसोसियेशन फैजाबाद।

फैजाबाद।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 1912

दिनांक 11/03/1912 को दिनांक 10/10/2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

1400 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 27/05/2016

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश
Bar Council of Uttar Prades

19, Maharshi Dayanand Marg, Allahabad, 0532-2623501 (Off.), 2420058 (Fax.), 2423248 (Re
Camp Office : Darul Shafa Vidhayak Niwas-2 Suite No 23 Lucknow Phone No. : 0522-2201

प्रेम नाथ त्यागी
सचिव
P. N. TYAGI
SECRETARY

पत्रांक सं0/Letter No. : 2574/

दिनांक/Date : 09/08/20

सेवा में,
अध्यक्ष / मंत्री
फैजाबाद बार एसोसिएशन
फैजाबाद

महोदय,

आप द्वारा बार काउन्सिल उत्तर प्रदेश को प्रेषित बार एसोसिएशन, फैजाबाद संविधान नियमावली पर बार काउन्सिल की बैठक दिनांक 14 / 07 / 2007 में विचार किया गया तथा कुछ आवश्यक संशोधन के साथ आपके नियमावली को प्रस्ताव सं. 2576 / 07 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बार काउन्सिल द्वारा स्वीकृत संलग्न प्रस्तावानुसार नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

सचिव
SECRETARY
BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH
ALLAHABAD

क्रम संख्या 82

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

बार एसोसिएशन के संबद्धीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

मूल संबद्धीकरण संख्या 11/1983

नवीनीकरण संबद्धीकरण संख्या R-93/2015

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एतत् द्वारा प्रमाणित करती है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद को प्रदत्त यह संबद्धीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 82 बार एसोसिएशन के संबद्धीकरण नियम 1979 के अन्तर्गत पाँच वर्ष हेतु दिनांक ०१-०८-२०१५ से ३१-०७-२०२० तक विधि मान्य है।

दिनांक १६-११-१५

Akhilesh Awasthi
अध्यक्ष
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
19, महर्षि दयानन्द मार्ग
इलाहाबाद।

विषय-सूची

1. प्रस्तावना / Preamble — 1

अध्याय – I Chapter - I

2. नाम एवं विस्तार / Name & Commencement — 5
3. परिभाषा / Definition — 7
4. सदस्यता के प्रकार / Classess of Membership — 11
5. सदस्यों का पंजीकरण / Register of Members — 11
6. सदस्यों का प्रवेश / Admission of Members — 11
7. वरिष्ठ समिति / Elders Committee — 15
8. प्रार्थना पत्र पर व्यवस्था / Order on the Application — 17
9. सामान्य सदस्यता का प्रारम्भ / Commencement of Ordinary Membership — 17
10. प्रवेश शुल्क का समय हरण / Forfeiture of Admission Fee — 17
11. साधारण सदस्यों का चन्दा / Subscription By Ordinary Members — 17
12. अनिवासी सदस्यों का चन्दा / Subscription by Non-Resident Members — 19
13. चन्दे का बकाया / Arrears of Subscription — 19
14. पदाधिकारी / Office Bearers — 21

15. प्रशासी परिषद / कार्यकारिणी समिति / Governing/Executive Council — 21
16. पदाधिकारियों की योग्यता / Qualification of Office Bearears — 21
17. कार्यकाल / Terms of Office — 23
18. प्रशासी परिषद के कार्य / Function of the Governing Council — 23
19. प्रशासी परिषद की शक्तियों की सीमाएं / Limitation on The Power of Governing Council — 25
20. अध्यक्ष के कार्य / Function of the President — 25
21. उपाध्यक्ष के कार्य / Function of the Vice-President — 27
22. महामंत्री के कार्य / Function of the Secretary — 27
23. संयुक्त मंत्री (प्रशासनिक) के कार्य / Function of the Joint Secretary, Administration — 29
24. संयुक्त मंत्री पुस्तकालय, प्रकाशन एवं फार्म्स प्रभार के कार्य / Function of the Joint Secretary Incharge of Library, forms and publication. — 29
25. कोषाधिकारी / कोषाध्यक्ष के कार्य / Function of the Treasurer — 31
26. वार्षिक साधारण सभा / Annual General Meeting — 31
27. सामान्य वार्षिक बैठक के कार्य / Business at the Annual General Meeting — 33
28. अन्य सामान्य बैठक / Other General Meetings — 33
29. असाधारण बैठक / Extra-Ordinary Meeting — 35

30. बैठक की सूचना 35
Notice of Meeting
31. संघ की बैठकों की गणपूर्ति 37
Quorum of Meeting of the Association
32. गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन 37
Adjournment of meeting for want of quorum
33. किसी बैठक के दौरान गणपूर्ति का अभाव 37
Quorum falling short during a Meeting
34. बहुमत के निर्णय से प्रश्नों का निराकरण 37
Questions to be decided by a Majority of Votes
35. कार्यवाही अभिलिखित की जायेगी 37
Proceeding to be recorded
36. कार्य पर पुनर्विचार 39
Reconsideration of Business
37. प्रशासी परिषद की गणपूर्ति 39
Quorum of the Governing Council
38. प्रशासी परिषद की बैठक 39
Meetings of the Governing Council
39. संघ के कोष 39
Fund of the Asociation
40. संघ की सम्पत्तियां 41
Property of the Association
41. सदस्यों का निष्कासन 43
Expulsion of Members
42. नियमों का उल्लंघन 43
Breach of Rules
43. नियमावली 43
Bye-Laws
44. नियमों में संशोधन 45
Amendment of Rules
45. चुनाव प्रक्रिया 45
Procedure of Election

अध्याय – II Chapter - II

46. पुस्तकालय, कर्मचारी एवं कल्याणकारी योजनाएं 51
Rules of library, employee & welfare Asso.
47. कोष (निधि) 57
Funds
48. संघ के सदस्यों एवं उनके आश्रितों हेतु कल्याण योजनाएं 61
Welfae scheme for the Members & their Depo.
49. आकस्मिक चिकित्सा राहत कोष 65
Emergency Medical Relief Fund
50. कन्या धन 69
Kanya Dhan
51. सामूहिक बीमा योजना 69
Group Insurance Scheme
52. कर्मचारी भविष्य निधि 69
Provident Fund of Staff
53. सामाजिक उत्सव 71
Social Functions
54. संघ के सदस्य तथा प्रशासी परिषद के सदस्यों के दण्ड की प्रक्रिया 73
Procedure of punishment to member and memebrs of the governing council
55. विविध 75
Miscellenous
56. विशेष चन्दा यदि कोई हो 79
Special Subscription, if any
57. सदस्यों / प्रशासी परिषद के सदस्यों की दण्ड प्रक्रिया 73
Procedure of punishment to member/G.C.
58. संघ के द्वारा रखी जाने वाली पंजिकाएं 81
Registers to be maintain by the Association
59. Shedule - I : Admission of the member 87
60. Affidavit (Specimen Copy) 90
61. Shedule - II 91
62. Shedule - III Membership form of S.R.F.S. 93

प्रस्तावना

अधिवक्ता समाज की रीढ़ होते हैं। अधिवक्ता ही समाज के कल्याण लिए विधि के नियमों के मूल्यों का सम्मान करते हुए उन्हे बनाए रखते हैं। दे का कानून अधिवक्ताओं के द्वारा व्याख्यायित होकर पुष्ट एवं आत्मविम्बित हो है। अधिवक्ता न केवल इसे व्यवहारिक बनाते हैं बल्कि नागरिकों के मौलि अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं और वह सब कुछ करते है समाज की बेहतरी और कल्याण के लिए हितकारी हो। जब भी देश की एकत अखण्डता एवं आन्तरिक सुरक्षा खतरे में होती है तो यह अधिवक्ता ही होता जो इस बचाने के लिए सबसे पहले आता है। इतिहास साक्षी है कि देश स्वतंत्रता प्राप्त करने में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय योगदान रह है।

अधिवक्ता संघ फैजाबाद का अपना गौरवशाली अतीत रहा है इसने बहु से विधि व्यवसाय के दैदीप्तमान सितारों जैसे–बाबू बलदेव प्रसाद, पंडित परमेश्व नाथ सप्रू, पं० रामनाथ शैगलू और बाबू मदन मोहन वर्मा को जन्म दिया है औ उन्हे पाला–पोसा है।

हमारे अधिवक्ता संघ के ऐसे भी सदस्य रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता एवं राष्ट्रीय सम्मान एवं पहचान के व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश के इतिहास में अपना स्थान बनाया।

वर्तमान में भी फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद अपने अतीत की गौरवशाली नाम और समृद्धि को आगे बढ़ाने में पीछे नही है। यह फैजाबाद बार एसोसिएशन ही है जो सम्पूर्ण देश में आतंकवाद से लड़ने वाला एकमात्र अधिवक्ता संघ रहा है। इसने चुनौतियों को स्वीकार किया और प्रस्ताव पारित करके देषहित में आतंकियों और उपद्रवियों के मुकदमों की पैरवी नही करने का निर्णय लिया है। हमारा संघ सर्व प्रथम सन् 1902 में श्री इम्तियाज अली की

Preamble

Lawyers are back bone of the society. It is the Lawyers who maintain and uphold the dignity and values of rule of law for the welfare of the society at large. The law of the land flourishes and finds its reflection under the healthy interpretation of the rule of law by lawyers who not only make it practicable but also safe guard the fundamental rights of the citizens and do each and every thing for the welfare and upliftment of the society. Whenever the unity, integrity and the internal security of the nation is at stake it is the lawyers alone who come forward first to save it. The history reveals that lawyers have played very important and significant role in achieving the independence of the country.

The Faizabad Bar Association, Faizabad has its glorious past. It gave birth, nourished and brought up several legal luminaries like Babu Baldev Prasad, Pt. Parmeshwar Nath Sapru, Pt. Ram Nath Sangloo and Babu Madan Mohan Verma who have contributed a lot to the legal profession.

There have been members in our Association who were freedom fighters and were men of high magnitude and of national repute and have also adorned the history of nation.

At present also The Faizabad Bar Association, Faizabad is not lagging behind in bringing forward the richness and the fair name of the association which it had in the past. It is the Faizabad Bar Association alone in the whole of the country which fought against the terrorism. It braved the challenges and passed a resolution not to do pairvi of the terrorists and rebellions in courts of law for the sake of the country. Our association came into being it the year 1902 with MR. Imitiyaz Ali as its first President and was got registered on 23-05-1911

अध्यक्षता में अस्तित्व में आया तथा दिनांक 23.05.1911 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत श्री विपिन चन्द्र चटर्जी एडवोकेट की अध्यक्षता में पंजीकृत हुआ। श्री बाबू बल्देव प्रसाद की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में संघ भवन का निर्माण प्रारम्भ हुआ। हमारी अपनी नियमावली है किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिला अधिवक्ता संघों में एक रूपता बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के द्वारा तैयार की गयी मॉडल नियमावली अंगीकृत की गयी। हमने उस माडल नियमावली को अपनी सुविधानुसार किये गये कुछ संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेष बार कौंसिल इलाहाबाद से स्वीकृत प्राप्त करके दिनांक 14.07.2007 को अंगीकार किया। आज हमारे पास संघ की बहुत ही व्यापक नियमावली है।

सर्वश्री संजीव दूबे वर्तमान अध्यक्ष एवं श्री सूर्य नारायण सिंह महामंत्री तथा श्री राजकपूर सिंह कोषाध्यक्ष की प्रेरणा एवं श्री राम किशुन उपाध्यक्ष, श्री महेन्द्र कुमार दूबे, श्री श्रीप्रकाश दूबे आदि कार्यकारिणी सदस्यों के सहयोग एवं श्री अरुण प्रकाश तिवारी एडवोकेट तथा श्री सूर्यलाल कार्यकारिणी सदस्य व ज्ञान त्रिपाठी एडवोकेट के विशेष सहयोग तथा अथक प्रयास से संघ की नियमावली का हिन्दी रूपान्तरण सम्भव हो पाया।

मैं उन सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनको स्नेह और शुभ कामनाओं के लिए उनका ऋणी हूँ।

मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे संघ के सभी सदस्य संघ की नियमावली का पूर्ण उत्साह के साथ पालन करेंगे।

ईश्वर इसे फलीभूत करें।

(शैलेश चन्द्र पाण्डेय)
एडवोकेट
फैजाबाद बार एसोसियेशन फैजाबाद

फैजाबाद
28.06.2017

under the Society Registration Act under the presidentship of Shri Vipin Chandra Chatterjee Advocate. The construction of building of the association started in the year 1912 under the president ship of Babu Baldev Prasad. We have our own byelaws of the association but in order to have uniformity among all the district bar associations of the state, U.P. Bar Council, prepared the model byelaws to be adopted by all bar associations. We have adopted the model byelaws with certain amendments suiting to our need and demands duly approved by U.P. Bar Council Allahabad on 14-07-2007. Now we have got a very comprehensive byelaws of our association.

Sarvashri Satya Narain Singh "Satya", Mahesh Prasad Pandey, Sabhajit Pandey, Shailesh Chandra Pandey, Lalji Srivastava, Himanshu, Sanjiv Dubey, Ram Shanker Yadav, Gyan Tripathi advocates and all the present office bearers of our association namely Sarvashri Paras Nath Pandey, Manvendra Dubey, Dwarikadhish Mishra, and B.L. Verma Advocates have extended their whole hearted co-operation in getting the byelaws amended upto mark.

I owe my sense of gratitude to all of them and feel obliged for their affection and good wishes.

I not only hope but I am confident that all the members of our association shall abide by the byelaws of our association with zeal and enthusiasm in the years to come.

May God make it fruitful.

P.C. Pandey

(Prakash Chandra Pandey)
Advocate
President
The Faizabad Bar Association,
Faizabad.

Faizabad :
20-07-2007

अध्याय - 1

नाम एवं विस्तार –

1. (अ) इन नियमों को फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद का नियम कहा जायेगा।

(ब) यह नियम नियमावली के रजिस्ट्रार सोसाइटीज एण्ड चिट्स द्वारा पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होंगे।

पंजीकरण

2. (अ) फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद जिसे एतत् पश्चात् "संघ" कहा जायेगा, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (अधिनियम 21 सन् 1860) के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी होगी।

(ब) संघ का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा संघ के महामंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो संघ की कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत हो के नाम से संघ के द्वारा और संघ के विरूद्ध वाद संस्थित किया जा सकेगा।

उद्देश्य

3. संघ के उद्देश्य इस प्रकार है :–

(अ) विधि विज्ञान एवं उसके अध्ययन के विकास को बढ़ावा देना तथा सम्यक विधायन की उन्नति के लिए सहयोग करने के उद्देष्य से विधायन पर दृष्टि रखना।

(ब) विधि व्यवसाय एवं उससे जुड़े सदस्यों और विशेष रूप से संघ के सदस्यों के हित को सुरक्षित और प्रोत्साहित करना।

(स) विधि व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के व्यवसायिक किया कलापों को नियन्त्रित करना तथा उनमें उच्चतम् व्यवसायिक स्तर के मानक और आचरण को प्रोत्साहित करना।

(द) संघ के सदस्यों के लिए उपयोगी विधि साहित्य एवं सम्बन्धित विषयों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय की स्थापना करना।

CHAPTER - I

NAME AND COMMENCEMENT

1. (A) These Rules shall be called the Rules of "The Faizabad Bar Association, Faizabad".

(B) They shall come into force from the day they are registered by Registrar Firms Societies and Chits.

Registration

2. (a) The Faizabad Bar Association , herein after called "The Association" shall be a society registered under the Societies Registration Act (XXI of 1860), and shall consist of all those persons who have signed the memorandum of Association and all others who have become members of the association by or under these rules and continue to be so.

(b) The association shall have perpetual succession and shall sue and be sued by its name, through its Secretary or through such other person as may be authorized by Executive Body of the Association, and rectified by the General Body.

Objects

3. The objects of the Association are :

(a) To promote the development of legal science and studies and to watch legislation for the purpose of assisting in the progress of sound legislation;

(b) To safeguard and promote the interest of the legal profession and its members in general and of the members of the Association in particular;

(c) To promote a high professional tone, standard and conduct amongst the members of the legal profession and to check unprofessional practices;

(d) To maintain a library of legal literature and of other subjects likely to be useful to the members of the Association;

(च) संघ के सदस्यों के अध्ययन एवं वैधानिक तर्क एवं संवाद के लिए एक सभा स्थल की व्यवस्था करना।

(छ) विधि व्यवसाय से जुडे आम सदस्य तथा संघ के सदस्यों के विधि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले मामलों को राज्य विधिज्ञ परिषद, उच्च न्यायालय, उच्चतम् न्यायालय अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों के संज्ञान में लाना।

(ज) संघ के सदस्यों एवं उनके परिवारों की विपरीत परिस्थितियों में सहायता के लिए योजनाएं तैयार करके उनका क्रियान्वयन करना।

(झ) अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत संघ को प्राप्त स्वतंत्रता, एकता एवं स्वायत्तता की रक्षा करना।

(ञ) अधिवक्ताओं के हितों, विशेषाधिकारों एवं अधिकारों की सुरक्षा करना।

(ट) अधिवक्ता संघ के विकास को प्रोत्साहित करना तथा अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन एवं बार काउंसिल द्वारा तैयार की गयी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए की गयी किये गये कार्य करना।

(ठ) वैधानिक विषयों पर प्रमुख न्यायविदों के साथ वार्तालाप एवं सेमिनार आयोजित करके वैधानिक सुधारों का समर्थन और प्रोत्साहन करना तथा वैधानिक हितों पर लेख एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

(ड) निर्धारित प्ररूप में गरीबों को विधिक सहायता की व्यवस्था करना तथा अधिवक्ता संघ के कोष का प्रबन्ध एवं निवेश करना।

(ढ़) देश के संविधान एवं कानूनों की रक्षा करना।

(ण) ऐसे समस्त कार्य करना या उनको करने के लिए कदम उठाना जो संघ के हित और कल्याण के लिए आवश्यक हो अथवा इस उद्देश्यों की पूर्ति एवं राष्ट्रहित में सहायक हो।

परिभाषा

4. इस नियमावली में जब तक कोई अन्य सन्दर्भ न हो उसके सिवाय,

(अ) **"अधिवक्ता संघ"** का अभिप्राय उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद के नियमों के अनुसार इस नियमावली के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए आदर्श नियमावली के अन्तर्गत सम्बद्ध और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिवक्ता संघ से है।

(e) To provide a meeting place for the members of the association particularly for study and discussion of law;

(f) To bring to the notice of the Bar Council, the High Court, Supreme Court or The Central or State Government matters affecting the legal profession in general and the members of the association in particular.

(g) To prepare and implement schemes for giving assistance to members and their families in their distressed circumstances;

(h) To protect the independence, unity and autonomy of the bar, so provided under the Advocates Act;

(I) To safeguard the rights, privileges and interests of Advocates on its Roll.

(j) To promote the growth of Bar Association for the purposes of effective implementation of the Welfare Scheme framed by the Bar Association as well as the Bar Council.

(k) To promote and support law reforms to conduct seminars and organize talks on legal topics by eminent jurists and publish journals and papers of legal interests.

(l) To organize legal aid to the poor in the prescribed manner to manage and invest the funds of the Bar Association.

(m) To protect constitution and law of the land.

(n) To do all such acts or take such steps as might be necessary for the well being of the Association, or for the fulfillment of these objects and in the interest of the Nation.

Definition

Unless the context otherwise requires in this Bye laws.

(a) ***"Bar Association"*** means an Association registered under societies Registration Act 1860 and also affiliated to Bar Council of Uttar Pradesh in accordance with the rules framed by State Bar Council for the purposes of these rules, and in accordance with the model bye laws.

(ब) **"न्यायालय"** का अभिप्राय हर प्रकार के न्यायालय से है जिसमें ऐसे सभी न्यायाधिकरण एवं संस्थाओं में अधिवक्ता कानून के प्राविधानों के अनुसार उपस्थित होते हैं, समाहित है।

(स) **"वरिष्ठ सदस्यों की समिति"** (एल्डर्स कमेटी) से अभिप्राय ऐसी समिति से है जिसका गठन माडल बाइलाज (आदर्श नियमावली) के नियम 8 के अन्तर्गत हुआ है।

(द) **"साधारण सभा"** का अभिप्राय संघ के समस्त सदस्यों को समाहित करने वाली संस्था से है।

(च) **"प्रशासी परिषद"** या कार्यकारिणी या कोई अन्य समिति जिस भी नाम से पुकारा जाय, का अभिप्राय संघ के कार्यों की व्यवस्था करने वाली समिति या संस्था से है।

(इ) **"सदस्य"** से अभिप्राय किसी सम्मानित सदस्य के आजीवन सदस्य एवं सामान्य सदस्य से है जिनका उल्लेख सम्बन्धित नियमों में है।

(ज) **"मास"** से अभिप्राय अंग्रेजी कैलेण्डर में अंकित माह से है।

(झ) **"कार्यरत अधिवक्ता"** या वास्तविक विधि व्यवसाय में अधिवक्ता या नियमित विधि व्यवसाय के अधिवक्ता में वे सभी अधिवक्ता समाहित हैं जो राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं की तैयार सूची में है और वकालतनामा प्रस्तुत करते है तथा अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करते हैं।

(ञ) (ए) एक वचन सन्दर्भित करने वाले शब्दों में बहुवचन तथा विपरीतार्थक शब्द सम्मिलित होंगे।
(बी) पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जैसे हिजड़ा या हिजड़ी सम्मिलित रहेगा।

(ट) **"कल्याणकारी योजनाएं"** का अभिप्राय मॉडल बाइलॉज (आदर्श नियमावली) या अन्य किसी कानून जो तत्समय प्रभावी हो के अनुसार तैयार की गयी कोई योजना है, जिसके द्वारा किसी अधिवक्ता को उसकी मृत्यु पर किसी अधिकृत व्यक्ति को एतत् पश्चात् नियमों के अधीन आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है।

(ठ) **"वर्ष"** का अभिप्राय ब्रिटिश कैलेण्डर में उल्लिखित वर्ष से है।

(ड) **"व्यवसाय का स्थान"** कोई अधिवक्ता सामान्यतः उस स्थान पर व्यवसाय करता हुआ माना जायेगा जिसका पता उसने मतदाता सूची में अंकित कराया है।

(b) ***"Court"*** Means all kinds of Courts and shall include all the Tribunals and Bodies where the Lawyers can appear under any provision of Law.

(c) ***"Elders Committee"*** Means a Committee the composition of which is mentioned in rule no.8 of the bye-laws.

(d) ***"General Body"*** Means a body comprising of all the members of the Association.

(e) "Governing Council or Executive Committee or any other Committee" by whatever name called, means a body to manage the affairs of the Association.

(f) ***"Member"*** Means an honorary member, life member, non resident member and ordinary member as mentioned in relevant rules.

(g) ***"Month"*** Means a month reckoned according to British Calendar;

(h) ***"practicing Advocate"*** or "Advocate in active practice" or "Advocate in regular practice" includes an Advocate on roll prepared by State Bar Council, who files pleadings and Vakalatnama and does not do any professional work other than that of an Advocate.

(i) (1) Words importing singular number shall include the plural number and vice-versa.
(2) Masculine gender shall include the feminine gender and also an Eunuch, i.e. Hijra or Hijri.

(j) ***"Welfare Scheme"*** Shall mean any scheme framed under the bye laws or any law for the time being in force to provide financial help, by whatever name called, to an Advocate and on his death to a person entitled under Rules mentioned here in after.

(k) ***"Year"*** Means an year reckoned according to the British Calendar.

(l) ***"Place of Practice"*** The Advocate shall be deemed to be ordinarily practicing at the place which is given in his address in the Electoral Role.

सदस्यता के प्रकार

5. संघ में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे –

(अ) **"विशिष्ट या सम्मानित सदस्य"** विधि व्यवसाय से जुड़े सदस्य जिन्होंने अपनी सेवाओं, विधि क्षेत्र या विधि व्यवसाय विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो और उन्हे संघ के मानद सदस्य रूप में स्वीकृत किया गया।

(ब) **"आजीवन सदस्य"** मतदाता सूची में सूचीबद्ध न्यायालय नियमित विधि व्यवसाय करने वाले ऐसे सदस्य जिन्हे साधा सभा द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क की धनराशि जिसके ब्या से साधारण सदस्य के रूप में देय चन्दा की धनराशि प्राप्त हो रहे, अदा करके आजीवन सदस्य बन सकते हैं।

(स) **"अनिवासी सदस्य"** ऐसे अधिवक्ता जो सामान्यतया न्यायाल में विधि व्यवसाय नही करते है और जिन्हे प्रशासी परिषद कार्यकारिणी ने नियमों के अन्तर्गत अनिवासी सदस्य अथवा ऐ किसी सदस्य को नियमों के अन्तर्गत बनाया गया हो। उ0प्र0 महाधिवक्ता यदि वह पहले से ही सदस्य नही है तो अनिवा सदस्य के रूप में संघ का सदस्य माना जायेगा। इस प्रकार सदस्य चैम्बर सहित किसी भी कल्याणकारी योजना का ल प्राप्त करने के अधिकारी नही होंगे।

(द) **"सामान्य सदस्य"** सूचीबद्ध ऐसे अधिवक्ता जो फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित रूप से विधि व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्हे प्रशा परिषद ने नियमों के अन्तर्गत सामान्य सदस्य बनाया है।

"टिप्पणी" सभी आवेदकों को यह घोषित करना हो कि वे अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद कल्याणकारी कोष नियम–40 के अन्तर्गत सदस्य हैं।

सदस्यों का पंजीकरण

प्रशासी परिषद या कार्यकारिणी संघ के सदस्यों का एक रजिस्टर तैय करके उसका रख रखाव करेगी और उन सबको वर्गीकृत करेगी जो स के सदस्य बने हैं।

सदस्यों का प्रवेश

7. सदस्यों का प्रवेश इस प्रकार होगा :

(अ) कोई व्यक्ति जो बार कौंसिल आफ उ0प्र0 का पंजीकृत अधिवक है और संघ की सामान्य/अनिवासी/आजीवन सदस्य बन

Classes of Membership

The Association shall have the following classes of members;

Honorary Members :- being or having been a member of the legal profession who, because of distinguished achievement or service to the cause of law or the legal profession, has been admitted, by the Association as an honorary member.

Life Member :- An Advocate on the roll of Advocates regularly practicing in the court by payment of an amount of membership fee to be fixed by the General Body; which will provide income by way of interest equivalent to the membership fee payable by ordinary member, may become life member of the Association.

Non-Resident Member :- being an advocate not ordinarily practicing in the court, who has been admitted by the Governing Council/Executive Committee under Rule as a "Non Resident" member. or is Such a member under these rules. The Advocate General of UP, if he is not already a member shall be admitted as a Non-Resident member. These members shall not be entitled to get benefit under any welfare scheme of association including chamber.

Ordinary Member :- being an Advocate on the Rolls of advocate regularly practicing in court at Faizabad Head Quarter and who has been admitted by the Governing Council under the rule as ordinary member.

Note :- All the applicants shall have to declare that they are the members of Bar Council of India Welfare Fund Rule 40.

Register of Members

The Governing Council/Executive Committee shall cause to be prepared and maintained a register of members of the Association and classify all those who have become members of the Association.

Admission of Members

(a) Any person enrolled as an Advocate with the Bar Council of Uttar Pradesh wishing to become an ordinary /non

चाहता है, लिखित रूप में अनुसूची–। में निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र पर तथा अनुसूची–।। में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार उसके द्वारा तथा कम से कम संघ के दो सामान्य सदस्यों के द्वारा जिनकी संघ की सदस्यता कम से कम पांच वर्ष की है, प्रस्तावक एवं द्वितीयक के रूप में उनके हस्ताक्षर सहित संघ के मंत्री के समक्ष आवेदन कर सकता है।

(ब) ऐसे व्यक्ति फैजाबाद मुख्यालय पर स्थित किसी एक संघ की सामान्य/आजीवन सदस्यता का ही अधिकारी होगा जहां पर कि वह सक्रिय एवं नियमित रूप से व्यवसाय करता है। हालाकि किसी अन्य संघ का अनिवासी अथवा मानद सदस्य भी हो सकता है।

(स) ऐसा अधिवक्ता अपने फोटोयुक्त शपथपत्र जिसमें उसकी पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति, हाईस्कूल प्रमाणपत्र, एलएलबी की डिग्री एवं स्थाई निवास प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत करेगा। जिसमें वह शपथ पूर्वक इस बात की घोषणा करेगा कि न तो वर्तमान में, न भविष्य में उ0प्र0 में किसी अन्य अधिवक्ता संघ का सामान्य/आजीवन सदस्य बनने की इच्छा नहीं रखता है। वह यह भी घोषित करेगा कि वह आवेदन पत्र के दिनांक को किसी अन्य व्यवसाय में नही लगा होगा।

(द) अधिवक्ता संघ का मंत्री नियमित रूप से न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं की सूची तैयार करेगा जिसका अनुमोदन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। ऐसे नियमित सदस्य ही संघ की सामान्य सदस्यता के अधिकारी होंगे।

(च) मंत्री अधिवक्ताओं की सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व उसे कम से कम 10 दिन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके आपत्ति आमन्त्रित करने के पश्चात् कार्यकारिणी के समक्ष रखेगा।

(झ) 20 से अधिक सदस्यों के द्वारा किसी नाम पर आपत्ति की दशा में ऐसी सूची विचार एवं अन्तिम निर्णय के लिए सामान्य सभा के समक्ष रखी जायेगी और सामान्य सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

resident/ life member may apply in writing to the Secretary of the Association for admission on an application prescribed in schedule I subject to the conditions prescribed in schedule II signed by him and bearing the signature of at least two ordinary members of the Association as Proposer and Seconder having at least five years of ordinary membership of the Association.

(b) Such persons shall be entitled to hold the ordinary membership/life membership of only one Association i.e. the Association situate at Faizabad Head Quarter wherein he is actively and regularly practicing. However, he can become non resident and honorary member of any other Association.

(c) Such advocate shall file an affidavit bearing his Photograph mentioning his registration number and photo stat copy of the Registration Certificate, high school certificate Degree of LL.B. and a certificate of permanent address certificate declaring on oath that he/she neither at present nor in future intends to become ordinary member/life member of any other Association in the state of Uttar Pradesh, and also a declaration that he/she is not engaged in any other business or profession on the date of application for membership of the association.

(d) The Secretary of the Bar Association shall prepare the roll of the advocates regularly practicing in the court duly approved by the Executive Committee, who alone will be entitled to be the ordinary member of the Association.

(e) The Secretary shall finalize the roll of advocates and place it before the Executive Committee after displaying the same on the notice board for ten days and inviting objections.

(f) In case more than twenty members object on any name included in the roll of advocates the same be placed for consideration before the General Body and its decision shall be final.

प्रार्थनापत्र पर व्यवस्था

9. संघ के मंत्री प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 दिन के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके संघ के अन्य सामान्य/आजीवन सदस्यों से 10 दिन तक आपत्तियां आमन्त्रित करेंगे और ऐसी जो भी आपत्तियां आयेगी उन्हे वरिष्ठ समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगे, जो नियमावली के अनुसार आवेदन पत्रों को या तो स्वीकार करेंगे या तो अस्वीकार करेंगे। एक बार सदस्यता आवेदन पत्र अस्वीकार होने की दशा में आवेदक व्यक्ति दो वर्ष तक पुनः आवेदन के लिए अधिकारी नहीं होगा।

परन्तुक यह है कि जब कोई सामान्य सदस्य अनिवासी सदस्य बनना चाहता है तो वह उस आशय अथवा उसे अन्यथा के लिए एक प्रार्थनापत्र देगा और उसके लिए प्रस्तावक पर द्वितीयक के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी और न ही नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने की आवश्यकता होगी। उसका नाम अनिवासी सदस्य के रूप में अनिवासी सदस्य की सूची में जोड़ लिया जायेगा।

सामान्य सदस्यता का प्रारम्भ

10. कोई व्यक्ति जिसका प्रवेश आवेदन पत्र एल्डर्स कमेटी के द्वारा अनुमोदित किया गया है और जो सामान्य सदन के रूप में कार्यकारिणी द्वारा प्रविष्ट कर लिया गया है। वह ऐसी प्रविष्टि की तिथि से सदस्यता के सभी विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा। किन्तु, उसे संघ की बैठकों में मत देने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने प्रवेश शुल्क अदा न दिया हो तथा दो वर्ष तक इसी रूप में जारी रहा हो।

प्रवेश शुल्क का समय हरण

11. यदि निर्धारण समय से प्रवेश शुल्क जमा नही किया गया है अथवा आगे ऐसा समय जो प्रशासी परिषद अनुमति दे ऐसे बकाए व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी तथा उसके द्वारा जमा किया गया प्रवेश शुल्क संघ द्वारा समयहरित कर लिया जायेगा और किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

साधारण सदस्यों का चन्दा

12. प्रत्येक साधारण सदस्य मासिक चन्दे के रूप में 40/– (चालीस) रूपये अथवा समय समय पर साधारण सभा द्वारा बढ़ोत्तरी की गयी राशि संघ को अदा करेगा।

Order On The Application

The secretary of the association shall place the application on the notice Board for 10 days inviting objections of other ordinary/life members of the association and shall place the application as well as the objections, if received any, before the Elders Committee who will approve or reject the application form as per rules of the bye laws. Once the application for membership having been rejected he or she shall not be entitled to apply again for the membership for a period of 2 years from the date of such rejection of the application.

Provided that when an ordinary member whishes to become a non resident he shall give an application to that effect or vice versa and it shall not be necessary for his application to be proposed or seconded or for its being placed on the Notice Board his name shall be added in the list of non-resident member.

Commencement of Ordinary Membership

10. Any person, whose admission form has been approved by elders committee and who has been "Admitted" as ordinary member by the Executive Committee, shall from the date of such admission be entitled to all the privileges of membership, but shall have no right of vote at meetings of the association until he has paid admission fee in full and has further continued as such for 2 consecutive years.

Forfeiture Of Admission Fee

11. If the admission fee has not been paid within the period prescribed or within such further period as the Governing Council might allow, the person in such arrears shall cease to be a member of the association and the admission fee paid by him shall be forfeited to the association and shall in no case be refundable.

Subscription By Ordinary Members

12. Every ordinary member shall pay a monthly subscription of Rs. 40/= (or as enhanced by the general body from time to time) to the Association.

अनिवासी सदस्यों का चन्दा

13. प्रत्येक अनिवासी सदस्य मासिक चन्दे के रूप में 40/– (चालीस) रु
अथवा समय समय पर साधारण सभा द्वारा बढ़ोत्तरी की राशि को
को नियम 12 के अनुसार अदा करेगा।

चन्दे का बकाया

14. कोई सदस्य जिसका चन्दा कम से कम 3 माह या उससे अधिक का बक
है उसका नाम सूचनापट पर चस्पा किया जायेगा साथ ही संघ के म
द्वारा उसे व्यक्तिगत नोटिस भी दी जायेगी कि वह नोटिस जारी क
के एक माह के अन्दर बकाया चन्दा जमा कर दे। यदि ऐसा सदस्य निर्धा
समय के अन्दर अपना बकाया चन्दा जमा करने में असफल रहता है
वह ऐसी बकाया अवधि के चतुर्थ माह के अन्त में संघ का सदस्य न
रह जायेगा। यदि ऐसा सदस्य बकाया चन्दा तथा अर्थदण्ड अदा कर
के साथ सदस्यता की समाप्ति के एक माह के अन्दर पुनः प्रवेश हेतु आवेद
करता है तो प्रशासी परिषद ऐस सदस्य को बिना प्रवेश शुल्क लिए सदस
के रूप में प्रवेश दे सकती है, अन्यथा की दशा में उसकी सदस्यता समाप्
कर ली जायेगी और संघ के मंत्री द्वारा उसका नाम सदस्यो की सूची
हटा दिया जायेगा। ऐसे समपहरण के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को सदस
के रूप में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यद्यपि कि संघ के नियमों
अनुसार पुनः सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

परन्तुक यह है कि देयों की अदायगी बीमारी या अन्य किसी
सन्तोषजनक आधार पर न किये जाने के आधार को संघ में मंत्री क
लिखित में ऐसे समपहरण के पूर्व सूचित करेगा। ऐसी दशा में प्रशासी
परिषद ऐसे सदस्यों को दो माह का अतिरिक्त समय बकाया अदायगी क
लिए दे सकता है। किन्तु समपहरण या निरस्तीकरण के पश्चात कोई भ
सदस्य संघ के किसी भी लाभ का अधिकारी नही होगा।

जनपद मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की दशा में चन्दे मे छूट या माफी

15. कोई भी साधारण सदस्य जो फैजाबाद मुख्यालय से छः कलेण्डर माह
से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहना चाहता है, संघ के मंत्री को
लिखित रूप में इस आशय की अग्रिम सूचना देने पर अनिवासी सदस्य
के रूप में दिये जाने वाले मासिक चन्दे की राशियों को अदा करने के
लिए ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा।

Subscription By Non-Resident Members

Every non-resident member shall pay a monthly subscription of Rs. 40/-(or as enhanced by the general body from time to time) to the Association as per rule 12.

Arrears Of Subscription

Any member whose subscription is in arrears for three months, his name shall be pasted on the notice board, along with personal notice by the secretary of the association, to pay the same within 1 month from the date of the notice issued. If such member fails to pay the arrears within that time, he shall forthwith cease to be a member of the association on the conclusion of 4th month. On payment of the amount of arrears and penalty on his applying for re-admission within one month from the date of his ceasure, the governing council may admit him as a member without the payment of a fresh admission fee, otherwise his membership will be forfeited, and the secretary shall strike off his name from the role of member. After forfeiture no person shall be re-admitted as member. However he may obtain a fresh membership in accordance with the rules.

Provided that in case of non payment of dues due to illness or any other satisfactory ground the member shall inform in writing to the Secretary before ceasure or forfeiture, the Governing Council may give two months time for payment. But after forfeiture or ceasure no such member shall be entitled to any benefit whatsoever of the Association.

Remission Of Subscription During Absence From District

15. An ordinary member who intends to be absent from practice at the Faizabad Head Quarter for a continuous period of not less than six calendar months shall on giving an advance notice in writing to the secretary, be permitted during the period of such continuous absence, to pay the monthly subscription prescribed for a non-resident member. However such privilege will be available to an ordinary member only once in five years.

पदाधिकारी

16. संघ के निम्नलिखित पद धारक होंगे जो वर्शिक सामान्य बैठक में गु मतदान प्रक्रिया के चुने जायेंगे।

1. एक अध्यक्ष
2. एक उपाध्यक्ष
3. एक महामंत्री
4. एक कोषाध्यक्ष
5. दो संयुक्तमंत्री जिसमें एक प्रशासनिक जबकि दूसरा पुस्तकाल फार्म्स एवं प्रकाशन का प्रभारी होगा।
6. प्रशासी परिषद/कार्यकारिणी के छः सदस्य।

प्रशासी परिषद/कार्यकारिणी समिति

17. संघ के समस्त कार्य, संघ व्यवहार प्रशासी परिषद के द्वारा संचालित ए नियन्त्रित होंगे। जिसमें कोष का निवेश भी समाहित रहेगा, जिस निम्नलिखित होंगे –

1. नियम 16 के अन्तर्गत चुने गये पदाधिकारी।
2. वरिष्ठ समिति (एल्डर्स कमेटी) का चेयरमैन
3. गत वर्ष के निवर्तमान अध्यक्ष एवं अवैतनिक महामंत्री प्रशासी परिषद/ कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।
4. महाधिवक्ता उ0प्र0 सरकार पदेन सदस्य होंगे।

पदाधिकारियों की योग्यता

18. पदाधिकारियों की योग्यताएं निम्नवत् है :–

1. अध्यक्ष : संघ का कोई साधारण सदस्य जिसने फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित एवं सक्रिय रूप से कम से कम 25 वर्ष विधि व्यवसाय किया है।

2. उपाध्यक्ष : संघ का कोई साधारण सदस्य जिसने नियमित एवं सक्रिय रूप से 20 वर्ष से अधिक अवधि तक फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय किया है।

3. अवैतनिक महामंत्री : संघ का कोई साधारण सदस्य जिसने नियमित एवं सक्रिय रूप से 15 वर्ष से अधिक अवधि तक फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय किया है।

Office Bearers

16. The association shall have the following office bearers who shall be elected by secret ballot every year in the annual general meeting.

(1) One President.
**(2) One Vice President.
(3) One General Secretary.
(4) One Treasurer.
**(5) Two Joint Secretaries, one of whom shall be in-charge of administration where as second shall be in charge of library, forms and publications.
**(6) Six Members in Governing Council /Executive Committee.

Governing/Executive Council

17. The affairs of the association shall be managed and its entire business including the investment of its fund shall be conducted by and under the control of Governing Council consisting of :-

(1) Officer bearers elected under Rule 16.
(2) The Chairman of Elders Committee.
(3) The former President & Honorary Secretary of the immediate preceding year shall be Ex-officio members of the Governing Council/Executive committee having power to vote.
(4) The Advocate General U.P. shall be Ex-Officio member.

Qualification Of Office Bearers

18.(1) **President-** an ordinary member having rendered at least 25 years of regular and active practice at Faizabad Head Quarter.

(2) **Vice-President- an ordinary member having rendered at least 20 years of regular and active practice at Faizabad Head Quarter.

(3) **General Secretary-** An ordinary member having rendered more than 15 years of regular and active practice.

4. कोषाधिकारी : संघ का कोई साधारण सदस्य जिसने नियमित एवं सक्रिय रूप से कम से कम 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय किया है।

5. दो संयुक्तमंत्री :

(ए) एक जो प्रशासनिक प्रभार में होगा, संघ के साधारण सदस्य के रूप में 15 वर्ष से अधिक समय के लिए नियमित एवं सक्रिय रूप से फैज़ाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय किया है।

(बी) एक, जो पुस्तकालय, प्रकाशन एवं फार्म्स के प्रभार में होगा। संघ के साधारण सदस्य के रूप में कम से कम 15 नियमित एवं सक्रिय सदस्य के रूप में फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय किया हो।

6. प्रशासी परिषद के सदस्य : दो सामान्य सदस्य जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक एवं 2 सामान्य सदस्य जिन्होंने 10 से 15 वर्ष तक तथा अन्य 2 समान्य सदस्य जिन्होंने 5 से 10 वर्ष तक नियमित एवं सक्रिय सदस्य के रूप में फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय किया है।

टिप्पड़ी – यदि किसी कारण से किसी पद विशेष पर कोई पद रिक्त होता है तो ऐसी दशा में ऐसा रिक्त पद प्रशासी परिषद/चुनी हुई कार्यकारिणी के द्वारा चुनाव अथवा पद रिक्ति के एक माह के अन्दर जैसा भी हो साधारण सभा के अनुमोदन से भरा जायेगा।

(यह संशोधन 22.06.2011 से लागू है)

कार्यकाल

19. संघ के पदाधिकारियों एवं प्रशासी परिषद/कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपने चुनाव से एक वर्ष तक पद धारण करेंगे, हॉला कि असाधारण परिस्थितियों में वे इसके पश्चात् एक माह तक साधारण सभा एवं एल्डर्स कमेटी के अनुमोदन से पद धारण कर सकते हैं और इस दौरान एल्डर्स कमेटी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी। जिसमें असफल होने की दशा में संघ का प्रशासन साधारण सभा द्वारा ऐसे पांच वरिश्ठ सदस्य जिन्होंने फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित एवं सक्रिय रूप से कम से कम 30 वर्ष का विधि व्यवसाय किया हो, को नामित करेगी, में विहित हो जायेगा जो संघ की नियमावली के अनुसार निश्चित रूप से एक माह के अन्दर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करा लेंगे।

प्रशासी परिषद के कार्य

20. नियमावली की धारा 21 के अधीन प्रशासी परिषद निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी –

4) **Treasurer-** An ordinary member having rendered more than 15 years of regular and active practice at Faizabad Head Quarter.

5) **Two Joint Secretaries-**

(a) One who shall be incharge of administration as an ordinary member having rendered at least 15 years of regular/active practice at Faizabad Head Quarter.

(b) One who shall be incharge of library publication and forms as an ordinary member having rendered at least 15 years of regular and active practice at Faizabad Head Quarter.

6) **Members of Governing Council -** 2 ordinary members having rendered above 15 years and 2 ordinary members having rendered 10 to 15 years and 2 ordinary member having rendered 5 to 10 years of regular and active practice at Faizabad Head Quarter.

Note - If, for any reason, there is any vacancy on any particular post the same will be filled up by the Governing Council/ Executive Council elected, within a month from the date of election or vacancy as the case may be with due approval of the general body.

Terms of Office

19. The office bearers of the association and members of the Governing Council/Executive Committee shall hold the office till the completion of one year from the date of their election, however in extraordinary circumstances they may continue for a further period of 1 month with the prior approval of the general body and by the time elders committee shall get the election completed failing which the administration of the association will vest in five senior members having rendered at least 30 years of active regular practice at Faizabad head quarter duly nominated by the general body who shall hold the election at the earliest as per bye laws certainly within one month.

Function of the Governing Council

20. The Governing Council shall, subject to the provisions of Rule 21perform the following duties.

****Note - amended w.e.f 22-06-2011**

अ. संघ की सम्पत्तियों एवं आस्तियों की सुरक्षा, कोष के समु निवेश के लिए उत्तरदायी होंगे।

ब. पुस्तकालय की स्थापना, रख रखाव एवं सदस्यों द्वारा इ समुचित प्रयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

स. संघ के पास उपलब्ध स्थान आदि के प्रयोग को नियन्त्रि करेगी।

द. संघ का वार्षिक बजट तैयार करेगी तथा बजट के अनुसार इस खर्च को नियन्त्रित करेगी।

च. संघ के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त आवश्यक क करेगी।

छ. संघ के कर्मचारियों के नियुक्ति, प्रोन्नति, दण्ड एवं निष्कास तथा अन्य मामलों में भी महामंत्री की संस्तुति से नजर रखेग

प्रशासी परिषद की शक्तियों की सीमाएं

21. संघ की पूर्व अनुमति के विना प्रशासी परिषद को निम्नलिखित अधिक नही होंगे–

अ. संघ की सावधि जमा राशियों से 10 हजार रूपये से अनधि राशि एक वर्ष में खर्च करना।

ब. संघ की ओर से किसी विवादित प्रकरण में जिसमें विधि व्यवसा प्रभावित हो रहा है, के सम्बन्ध में अपना मत अभिव्यक्त करना

स. किसी प्रश्न या किसी प्रकरण जिस पर प्रशासी परिषद की बैठ में 50 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थित सदस्यों की राय प्रकरण को साधारण सभा के निर्णय के लिए सन्दर्भित कि जाना चाहिए, पर निर्णय करना।

अध्यक्ष के कार्य

22. संघ का अध्यक्ष :

1. संघ की सभी बैठकों एवं प्रशासी परिषद की अध्यक्षता करेगा
2. संघ के सभी पद धारकों को सुचारू कार्य निष्पादन के लि उत्तरदायी होगा।

(a) Be responsible for the safe custody of the property and assets of the association and the proper investment of its funds;

(b) Make arrangements for the maintenance and upkeep of the library and its proper use by the members;

(c) Control the use of the accommodation available to the association.

(d) Frame the annual budget of the association and control expenditure in accordance with the budget;

(e) Do all other acts necessary for the fulfillment of the objects of the association;

(f) Shall look into matter of appointment, promotion, punishment and dismissal of employee of the Association and other matters also on the recommendation of the Secretary.

Limitation On The Power Of The Governing Council

21. The Governing Council shall not have the power, without the previous sanction of the Association:-

(a) To spend within one year any sum exceeding Rs. 10,000/- out of the fixed deposits of the Association.

(b) To express any opinion on behalf of the Association on any controversial matter affecting the interest of the legal profession, and

(c) To decide any question or a particular matter which in the opinion of 50 % or more members of the Governing Council, present in the meeting should be referred for the decision to the general body of the Association.

Function Of The President

22. The President of the Association shall;

(a) Preside over all meetings of the Association, and Governing Council.

(b) The President shall be responsible for the proper functioning of the various office bearers of the association.

3. संघ अथवा प्रशासी परिषद की किसी भी बैठक में मतो समानता की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

4. जहां और जब भी आवश्यक हो संघ का प्रतिनिधित्व करना।

5. संघ के नियमावली के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित करना।

उपाध्यक्ष के कार्य

23. संघ का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के जनपद मुख्यालय अथवा न्यायालय परि में अनुपस्थित रहने या अनुपलब्ध रहने की दशा में अध्यक्ष के रूप समस्त कार्य सम्पादित करना।

महामंत्री के कार्य

24. महामंत्री संघ के अध्यक्ष के नियन्त्रण में मुख्य प्रशासनिक अधिका होगा और यह उसका कर्तव्य है कि वह अध्यक्ष के निर्देशों एवं संघ प्रस्तावों का पालन करे। इस नियमावली के निर्देशों, सीमाओं, संघ अथ प्रशासी परिषद के प्रस्तावों के अधीन महामंत्री की निम्नलिखित शक्ति होंगी–

I. संघ के बजट के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, फर्नीचर, पुस्तक छपाई की समाग्री एवं संघ के प्रबन्ध से सम्बन्धित अन्य सभ उद्देश्यों, पुस्तकालय के मद में संघ के कोष का व्यय करना ए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघ के बैक खातों का संचालन कोषाधिकारी या अध्यक्ष जैसा भी हो के साथ खाते का संचाल करना।

II. संघ की प्रशासी परिषद की पूर्व अनुमति के विना असाधारण ए आवश्यक उद्देष्यों के लिए एक वर्ष में पांच हजार रूपये से अनि ाक राशि खर्च करना।

III. संघ के सभी अभिलेखों एवं पंजिकाओं का रख रखाव करना।

IV. संघ के कोष को चालू खाता या सावधि जमा के माध्यम से प्रशासी परिषद के अनुमति से किसी अधिकृत बैंक में जमा करना समय–समय पर संघ के उपयोग एवं खर्च के लिए जमा राशि की निकासी करना और संघ की ओर से प्रशासी परिषद के निर्देशों के अनुसार राजकीय एवं अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की व्यवस्था।

(c) Give the casting vote in case of equality of votes at any meeting of the association or the Governing Council.

(d) Represent the association whenever a formal representation is necessary; and

(e) Perform such other functions as might be required by the rules of bye-laws of the Association.

Function Of The Vice-President

The Vice-President of the Association shall; perform the functions of the President, when the president is absent from District or is not available in the court campus.

Function Of The Secretary

The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Association under the control of the President and it shall be his duty to give effect to the directions of President and resolutions of the Association and the Governing Council, Subject to such directions or limitations as may be contained in these rules or in the resolutions of the Association or of the Governing Council, he shall have the power of :-

I. Spending the fund of the association in accordance with the budget, in paying the salaries of the servants, in purchasing books, furniture and materials for the printing press and for other purposes connected with the management of the Association, and the library, in accordance with the directions of Governing Council and for this purpose to operate upon the Bank Accounts of the association along with Treasurer or President as the case may be.

II. Spending a sum not exceeding Rs. 5000/- for association in any year for extraordinary and emergent purpose of the association without the previous sanction of the Governing Council.

III. Keeping and maintenance of all registers and documents of the Association.

IV. Investment of funds of the Association in current or in fixed deposit in any Scheduled Bank, approved by the Governing Council, withdrawl of the deposits from

V. सामान्यतया संघ की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना

VI. संघ की नियमावली के अनुसार जो भी आवश्यक कार्य है उ सबको निष्पादित करना।

VII. महामंत्री को संघ के सेवकों को निम्नानुसार अवकाश देने क अधिकार होगा–

अ. सवेतन आकस्मिक अवकाश जिसकी सीमा 15 दिन प्रत्येक वर्ष हो सकेगी।

ब. चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर सवेतन अवकाश जिसकी सीम प्रत्येक वर्ष 1 माह हो सकेगी।

स. बिना वेतन का अवकाश जिसकी सीमा प्रत्येक वर्ष 3 मा तक हो सकेगी।

परन्तुक यह है कि उपरिलिखित उपवाक्य 2 व 3 में वर्णि अवकाश प्रशासी परिषद के अनुमोदन के अधीन होगा।

संयुक्त मंत्री (प्रशासनिक) के कार्य

25. संयुक्त मंत्री प्रशासनिक प्रभार संघ के स्टाफ उसके रख–रखाव ए जांच के लिए उत्तरदायी होगा तथा महामंत्री को उसके कर्तव्यों व पालन में सहयोग करेगा। महामंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्तमंत्री प्रशासनिक प्रभार उसके लिए उन सभी मामलों में जिसमें शीघ्र निस्तारण आवश्यक है, कार्य करेगा।

संयुक्तमंत्री पुस्तकालय, प्रकाशन एवं फार्म्स प्रभार के कार्य

26. महामंत्री के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा–

अ. संघ के पुस्तकालय का रख–रखाव।

ब. संघ के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद।

time to time and to utilize and spend them for the purposes of the Association and to deal with Government and other securities on behalf of the Association in accordance with the directions of the Governing Council.

V. To generally supervise the working of the various activities of the Association, and;

VI. To perform such other functions as he might be required to perform by these rules or bye-laws of the Association.

VII. The Secretary shall have power to grant leave to the employees of the Association as follows :-

(a) Casual leaves on full pay to the extent of 15 days in each year.

(b) Leave on medical certificate on half pay to the extent of one month in each year.

(c) Leave without pay to the extent of 3 months in each year.

Provided that the leaves mentioned in sub-clause (b) and (c) shall be subject to the approval of Governing Council.

Function Of The Joint Secretary Administration

25. The Joint Secretary in charge of administration shall be responsible for maintenance and verification of stock of the Association and to assist the secretary in discharge of his duties. In the absence of the Secretary, the Joint secretary (Administration) shall act for him in all matter which call for an immediate disposal.

Function Of The Joint Secretary In charge Of Library forms and Publication.

26. The Joint Secretary in charge of the Library shall under the general supervision of the Secretary, be responsible:

(a) for the maintenance of the Library of the Association;

(b) for the purchase of books for the library;

स. संघ के पुस्तकालय की पुस्तकों के समुचित प्रयोग उनके संरक्षण एवं पुस्तकालय के आय पर नजर रखना।

द. संघ की प्रशासी परिषद के अनुमोदन से विधि एवं व्यावसायिक शिष्टाचार संसम्बन्धित प्रकाशनों, सामान्य प्रपत्रों (फार्म्स) वकालतनामा तथा निर्देशिका (डायरेक्ट्री) का प्रकाशन करना।

च. अन्य ऐसे कार्य सम्पादित करना जो उसे महामंत्री द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

कोषाधिकारी / कोषाध्यक्ष के कार्य

27. कोषाधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा –

अ. संघ के आय एवं व्यय की जांच पड़ताल करना।

ब. प्रशासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संघ का वार्षिक बजट तैयार करना।

स. संघ के समस्त व्यय बजट नियम एवं नियमावली के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नजर रखना।

द. वित्तीय नीतियों से सम्बन्धित सभी मामलों में प्रशासी परिषद को परामर्श देना।

च. प्रशासी परिषद द्वारा उसके लिए निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

छ. कोषाध्यक्ष महामंत्री के साथ बैंक एवं सभी वित्तीय खातों का संचालन करेगा।

ज. तीसरे माह के अन्त में तिमाही आय व्यय का लेखा–जोखा सूचनापट पर प्रकाशित करेगा।

झ. विशेषज्ञ / लेखा परीक्षक (आडिटर) या चार्टर्ड एकाउन्टेंट से खातों एवे खर्चों का वार्षिक लेखा जोखा कराएगा।

28. संघ की साधारण सभा की वार्षिक बैठक से पूर्व साधारण सभा द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षक या चार्टर्ड एकउन्टेंट से संघ के समस्त कोषो की लेखा जांच की जायेगी।

वार्षिक साधारण सभा

29. प्रशासी परिशद द्वारा पदाधिकारियों से कम से कम एक माह पूर्व संघ के साधारण सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक के लिए निर्धारित तिथि को साधारण सभा आहूत की जायेगी।

(c) for seeing the proper use of books, its preservation and income of the library.

(d) for publication of general forms, Vakalatnama & directory including other publications approved by the Governing Council relating to law & professional ethics.

(e) for such other function as might be delegated to him by the Secretary.

Function Of The Treasurer

The Treasurer shall be responsible for;

(a) Checking the income and expenditure of the Association;

(b) Preparing the annual Budget of the Association for its being placed before the Governing Council

(c) for seeing that all expenditures are in accordance with the Budget, rules and the bye-laws;

(d) for advising the Governing Council on all matters relating to financial policy,

(e) for performing such other function as might be assigned to him by the Governing Council.

(f) the Treasurer shall operate Banks and other financial accounts along with the Secretary,

(g) shall publish on the notice board the quarterly income and expenditures incurred by the end of third month

(h) shall get the account audited yearly by the qualified auditor/chartered accountant.

All the funds of the association shall be audited by qualified auditor/chartered accountant approved by the general body before the Annual General Meeting.

Annual General Meeting

The Annual General Meeting of the members of the Association shall be held every year on a date fixed by the Governing Council at least a month before expiry of the term of the office bearers.

सामान्य वार्षिक बैठक के कार्य

30. संघ की वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न कि जायेंगे–

अ. अपने सामान्य या आजीवन सदस्यों में से पदाधिकारियों के चुना के लिए तिथि निश्चित करना।

ब. एक अगस्त से 30 जून की अवधि के वार्षिक लेखा एवं रिपोर्ट व स्वीकार करना। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि एक जुला से 31 जुलाई के बीच की अवधि की लेखा एवं रिपोर्ट आने वा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा नवीन अनुमानित बजट जो ए अगस्त से 31 जुलाई तक का होगा, के साथ 15 दिन के अन्द साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

स. संघ के किया कलापों अथवा इसकी अन्य निकायों की गतिविधि को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने के लिए लाए गये प्रस्तावों व स्वीकार करना।

अन्य सामान्य बैठकें

31. इस प्रकार हैं –

अ. प्रशासी परिषद किसी भी समय सामान्य सदस्यों की साधारण बैठ बुला सकती है। आपातकाल की दशा में संघ के अध्यक्ष या मंत्री भी ऐसे सामान्य बैठके बुला सकते हैं।

शर्त यह है कि एजेण्डे से इतर कोई प्रश्न अध्यक्ष की विशे अनुमति से ही उठाया जा सकेगा।

ब. सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन या कमेटी का कोई वरिष्ठ सदस्य भी किसी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

हालांकि अध्यक्ष की अनुपस्थित में सम्पादित बैठक में वित्तीय मामले विचारार्थ नहीं किए जायेंगे।

Business At The Annual General Meeting

30. The Annual General Meeting of the Association shall;

(a) fix a date for electing office bearers, and other members of the Governing Council from amongst its ordinary/life members; and also fix a date for submitting audited annual account and annual report

Provided that on the date so fixed for submitting audited annual account and annual report, the audited annual accounts and annual report for the year starting from the 1st of August till 30th June only shall be submitted. It is made clear that the audited account and its report for the period running from 1st July till 31st July shall be submitted by the next coming newly elected office bearers along with new estimated budget for the year starting from 1st August till 31st July before general body within 15 days positively.

(b) and adopt such resolution as might be brought forward for guiding the activities of the association or its bodies.

Other General Meetings

31. (a) The Governing Council may, at any time, convene a General Meeting of the ordinary members of the Association, and, in case of emergency, the President or the Secretary may also convene such a General Meeting.

Provided that any question not expressly on agenda can be raised with the special leave of the President of the meeting.

(b) All the meetings shall be presided by the President and in absence of the President or Vice President or Chairman of the Elders Committee any senior member of the Elders Committee may preside over the meeting.

However in a meeting held in absence of the President no financial matter shall be taken.

असाधारण बैठक

32. साठ साधारण सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष/महामंत्री 10 दिन के अन्दर संघ के साधारण सदस्यों की असाधारण बैठक बुला सकेंगे। ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष/महामंत्री को सम्बोधित लिखित रूप में दिया जायेगा। जिसके साथ ऐसा कथन जुड़ा होगा कि संघ की सामान्य बैठक में प्रस्ताव असफल होने पर साधारण सभा के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(अ) यदि प्रस्ताव के अनुसार संघ की असाधारण सामान्य बैठक नहीं बुलाई गयी और ऐसा प्रस्ताव प्रशासी परिषद के द्वारा निरस्त भी नही किया गया, तो ऐसी बैठक एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन द्वारा आहूत की जायेगी।

(ब) संघ की साधारण सभा द्वारा एक दिन से अधिक अवधि के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय नहीं लिया जायेगा, जब तक कि ऐसा प्रस्ताव संघ की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से न लिया गया हो। नियमावली के अनुसार केवल आजीवन/साधारण सदस्य जो मतदान करने के लिए अधिकृत है वही सदस्य ऐसे मतदान में भाग ले सकेंगे।

बैठक की सूचना

33. संघ की बैठक की सूचना नियमों के अनुसार कम से कम बैठक की निर्धारित तिथि से 7 स्पष्ट दिनों के पूर्व दी जायेगी। किसी विषय के आपातकालीन होने की दशा में बैठक जो 7 दिनों के लिए स्थगित नहीं की जा सकती है, और ऐसी बैठक जो वार्षिक साधारण बैठक से इतर बैठक है उसी प्रकार बुलाई जा सकेगी। किन्तु ऐसी शीघ्रतर सूचना पर जो महामंत्री द्वारा उचित समझी जाय।

34. किसी बैठक की सूचना ऐजेण्डा के साथ नोटिस को संघ के सूचनापट पर चस्पा करके तथा इसे किसी कार्यदिवस में सदस्य जो उपस्थित या उपलब्ध हों में प्रचारित एवं प्रसारित करके सूचित की जायेगी और ऐसे प्रचार–प्रसार के पश्चात् कोई बैठक इस आधार पर निरस्त नही की

Extra-Ordinary Meeting

32. An extra ordinary general meeting of the ordinary members of the association shall be convened with in 10 days by the President/Secretary at the requisition of 60 ordinary members. Such requisition shall be in writing; addressed to the President/Secretary and accompanied by a statement for which the general meeting of the Association is sought to be requisitioned, failing which necessary action shall be taken by the general body.

(a) Incase the extraordinary general meeting of the association is not convened as per the requisition and same is also not ruled out by the Governing Council such meeting shall be convened and presided over by the Chairman of the Elders Committee.

(b) No decision will be taken to go on strike in the court by the Bar Association beyond a strike of one day, unless the decision is taken by the majority of members present in a general body meeting of the Association. Only life/ordinary members will participate in voting who are entitled to vote on that day according to rules of the Association.

Notice Of Meeting

33. Notice of Meeting of the Association shall be given, in manner provided by rule at least 7 clear days before the date fixed for the meeting. In case of emergency relating to a subject which cannot be postponed for 7 days, a meeting other than annual general meeting may be called, in like manner but at such shorter notice as may be considered sufficient by the Secretary.

34. Notice of a meeting shall be given by affixing up a notice along with the agenda on the notice board of the Association and by circulating it in the Court Campus on a working day to such members as are present or can be found, and after such affixation and circulation no meeting shall be called in ques-

जायेगी कि किसी सदस्य या सदस्यों को समुचित सूचना नही प्राप्त हुई अथवा सूची के द्वारा निर्धारित समय अपर्याप्त या अनुपयुक्त था।

संघ की बैठकों की गणपूर्ति

35. संघ के एक चौथाई सदस्य वार्षिक साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होंगे।

गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन

36. यदि बैठक में गणपूर्ति पूरी नही है तो बैठक गणपूर्ति के लिए किसी अन्य तिथि और समय के लिए स्थगित कर दी जायेगी। किन्तु किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रकरण या अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण स्थगित बैठक में निर्णीत नही की जायेगी। यद्यपि की स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

किसी बैठक के दौरान गणपूर्ति का अभाव

37. किसी बैठक के दौरान अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का ध्यानाकर्षण उपस्थित सदस्यों की गणपूर्ति के अभाव के सम्बन्ध में किया जाता है तो अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति इस तथ्य का सत्यापन करने के पश्चात् बैठक समाप्त कर देगा। किन्तु कोई भी निर्णय जो ऐसी बैठक में पूर्व में लिया जा चुका है उसे वैध रूप से माना जायेगा।

बहुमत के निर्णय से प्रश्नों का निराकरण

38. एतद् पश्चात् प्राविधानित के सिवाय संघ की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का निराकरण उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा निर्णीत किया जायेगा। सामान्य सदस्यों की सहभागिता उनके पठनीय हस्ताक्षर से संघ की पंजिका में अभिलिखित की जायेगी। मतसमानता (टाई) होने की दशा में अध्यक्षता कर रहे अपना द्वैतीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। किसी अन्य के माध्यम से मतदान (प्राक्सी वोटिंग) की अनुमति नहीं दी जायेगी। अध्यक्ष की उपस्थिति में संघ के सदस्यों के बहुमत से लिए गये निर्णय किसी भी न्यायालय अथवा विधिक प्राधिकारी द्वारा एतत्पश्चात् प्राविधानित के अलावा प्रश्नगत नही किया जायेगा।

कार्यवाही अभिलिखित की जायेगी

39. संघ की किसी बैठक में लिए गये निर्णय संघ के सभी सदस्यों पर

tion on the ground of improper service or non-service of notice on any member or the insufficiency or impropriety of the time allowed or fixed by the notice.

Quorum Of Meetings Of The Association

35. 1/4 of the members shall form a quorum for the General Meetings of Association.

Adjourament of meetings for want of quorum

36. If the quorum is not complete, the meeting shall be adjourned for want of quorum to some other date or time. But nothing relating to financial matter or any other important matter shall be decided in the adjourned meeting. However no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

Quorum Falling Short During A Meeting

37. If at any time during the course of a meeting, the attention of the person presiding is drawn to the fact that the number of members present has fallen short of the quorum required, the person presiding, after ascertaining the truth of the facts, shall forthwith dissolve the meeting but any business already transacted shall be deemed to be validly transacted.

Questions To Be Decided By A Majority Of Votes

38. Except, as here in after provided, all questions at the meetings of the Association shall be decided by a majority of the votes of members present and voting. The participation of ordinary members will be recorded on the register in their legible signatures. The person presiding shall have a second or casting vote in case of tie. No voting by proxy shall be allowed Any decision taken by the majority of votes of members present in the meeting shall not be questioned in any court of law or by any statutory body except under the rule herein after contained.

Proceedings To Be Recorded

39. The decisions arrived at a meeting shall be binding on all members of the Association. The Secretary shall keep a record of

जायेगा जब तक उसे सामान्य सभा द्वारा विशेष रूप से संस्तुति न किय गया हो। किसी आपातकालीन दशा में संघ के कार्यकारिणी की संस्तु भी पर्याप्त होगी।

संघ की आय की राशि सामान्य सभा के द्वारा अनुमोदित बैंक जमा की जायेगी। महामंत्री के पास एक हजार रूपये (1000/–) से अधिक की राशि नही रखी जायेगी।

स. पुस्तकालय कोष : प्रत्येक सदस्य के मासिक चन्दे से 5/– की धनराशि अथवा साधारण सभा द्वारा समय–समय पर जो बढ़ोत्तरी की जाय पृथक रूप से बचत खाते में संघ के मंत्री और कोषाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय कोष के रूप में जमा की जायेगी।

द. कर्मचारियों का भविष्यनिधि कोष : संघ के स्थाई एवं अस्थाई कार्यालय कर्मचारियों के लिए भविष्यनिधि कोष बनाया जायेगा। ऐसे कोष में संघ का कोई कर्मचारी कार्यकारिणी के अनुमोदन से 12.5 प्रतिशत अपनी वेतन की राशि अंशदान के रूप में भविष्यनिधि में जमा किया जायेगा। जबकि उसके वेतन का 6.5 प्रतिशत संघ द्वारा अंशदान दिया जायेगा। भविष्यनिधि की बचत की राशि कार्यालय कर्मचारी को उसके संघ की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के समय दी जायेगी।

परन्तुक यह है कि यदि ऐसा कोई कर्मचारी संघ की सेवाओं से निकाल दिया जाता है तो ऐस कर्मचारी की भविष्यनिधि का राशि संघ के अंशदान की सीमा तक या जैसे साधारण सभा निर्णय करे, सम्पहृत की ली जायेगी।

संघ की सम्पत्तियां

44. सभी सम्पत्तियां जो संघ या उसकी ओर से प्राप्त या अधिग्रहण की गयी हैं।

45. संघ की समस्त सम्पत्ति और कोष संघ के प्रबन्धन के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रहेगी तथा संघ की नियमावली के अनुसार इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिग्रहीत, संरक्षित और व्यय की जायेगी।

is specially sanctioned by the general body of the Association in case of any emergency at the recommendation of the executive committee.

The income of the Association shall be deposited in such Banks as may be approved by the General Body. The Secretary shall not be entitled to retain more than Rs. One Thousand (1000/-) in his hands.

(c) **Library Fund -** Out of monthly subscription of every member as sum of Rs, 5/- or as enhanced by the general body from time to time will be deposited in separate saving account operated by the Secretary and Treasurer under the head of library fund.

(d) **Provident Fund Of Staff -** For the benefit of the permanent ministerial staff and menial staff of the Association a provident fund is hereby created. To such fund any employee of the staff may subject to the approval of the executive committee contribute up 12½% of his pay while 6¼% of his pay shall be contributed by the Association. The saving under the provident fund shall be payable to the member of the staff concerned on his retirement from the service of the Association.

Provided that if any such employee is dismissed from the service of the Association, the dues owing to such employee shall be liable to forfeiture wholly or in part to the extent of the contributions made by the Association as may be decided by general body of the Association.

Property Of The Association

44. All property received or acquired by or on behalf of the Association.

45. All funds and properties of the Association shall be under the direct control and management of the Association and shall be acquired, maintained and disposed of in accordance with the Rules or Bye-laws, in furtherance of the objects of the Association.

46. संघ का कोई भी सदस्य संघ की सदस्यता समाप्त होने के पष्चात् की किसी सम्पत्ति धन या कोष का अधिकारी नहीं होगा।

सदस्यों का निष्कासन

47. संघ द्वारा किसी साधारण बैठक में जो किसी ऐसे प्रयोजन के लिए बुल गयी है और जिसकी 14 दिन पूर्व नोटिस दी जा चुकी है, एक प्रस्ताव द्वारा सामान्य सदस्यों के ऐसे बहुमत जो उपस्थित साधारण सदस्यों दो–तिहाई से कम न हो, किसी सामान्य सदस्य को निम्नलिखि आधारों पर निष्कासित कर सकती है–

1. व्यवसायिक कदाचार।
2. अनैतिक और गम्भीर अपराधों से दोषसिद्ध।
3. संघ के सदस्य के रूप में अधिक कदाचार का दोषी होने पर।

शर्त यह है कि ऐसे बैठक की सूचना सम्बन्धित सदस्य दी जायेगी और वह संघ के द्वारा पारित होने वाले किसी निर्ण से पूर्व सुने जाने का अधिकार होगा।

नियमों का उल्लंघन

48. संघ का कोई सदस्य जो अनवरत एतत्पश्चात् वर्णित नियम भंग दोषी पाया जाता है अथवा किसी अन्य प्रस्ताव के उल्लंघन का दो पाया जाता है, उसके विरूद्ध रु. 2000/– तक अर्थदण्ड या निष्कास या सामान्य सभा में उपस्थित सामान्य सदस्यों के बहुमत से अथवा दो से दण्डित किया जायेगा। हांलाकि कार्यकारिणी के सदस्य के द्वारा को नियम का उल्लंघन किये जाने पर अर्थदण्ड रु. 5000/– से दण्डि किया जायेगा।

नियमावली

49. इस नियमावली में उल्लिखित नियमों के अधीन समय–समय पर संघ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रशासी परिषद नियम ब सकेगी। ऐसे नियम बार कौंसिल आफ उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित होने पश्चात् प्रभावी होंगे।

46. No member of the Association shall on ceasing to be a member of the Association, have any right to or claim upon any fund or property of the Association, or to the use of such property.

Expulsion Of Members

47. The Association may, at a general meeting specially convened for the purpose, of which 14 day's notice has been given, by a resolution adopted by a majority of not less than two-third of the ordinary members of the association present and voting expel an ordinary member on any of the following grounds:

(1) Professional misconduct,
(2) Conviction for an offence involving moral turpitude, or
(3) Gross misconduct unbecoming of the member of the Bar.

Provided that notice of the meeting shall be given to the member concerned and he shall be entitled to be heard before any decision is taken by the association.

Breach Of Rules

48. Any member of the Association who shall be guilty of continued violation of the rules herein contained or of any bye-laws made there under, or any resolution passed shall be liable to fine up to Rs. 2000/- or expulsion or both by vote of the majority of the members present at a General Meeting of the Association. How ever in case of any breach by a member of Executive Committee/Governing Council the amount of fine shall be Rs, 5000/-.

Bye-laws

49. Subject to these Rules the Governing Council may, from time to time, frame bye-laws, for the purpose of carrying out the aims and objects or regulating the activities of the Association. The bye-laws framed shall be effective only after they have been approved by the Bar Council of Uttar Pradesh.

नियमों में संशोधन

50. नियमो में कोई परिवर्तन, प्रतिसंहरण या संशोधन नही किया जायेगा और न ही कोई नया नियम बनाया जायेगा, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बुलाई गयी सामान्य बैठक में गुप्त मतदान के द्वारा या उपस्थित मतदान करने वाले दो–तिहाई सदस्यों की सहमति न प्राप्त कर ली गयी हो।

चुनाव प्रकिया

51. संघ के सामान्य सदन की बैठक पदाधिकारियों के कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व चुनाव की तिथि निश्चित करने हेतु बुलाई जायेगी। एल्डर्स कमेटी (वरिष्ठ समिति)/चुनाव अधिकारी के पैनल के रूप में कार्य करेगी और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए संघ के किसी भी सदस्य को उस पैनल में सम्मिलित कर सकेगी। शर्त यह है कि ऐसा सदस्य चुनाव में प्रत्याशी न हो तथा चुनाव परिणाम एल्डर्स कमेटी द्वारा बुलाई गयी सामान्य सदन की बैठक में घोषित किया जायेगा।

संघ के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में आने वाले भारी खर्च को वहन करने के लिए वरिष्ठ समिति द्वारा विभिन्न पदों हेतु प्रतिभूति राशि निश्चित करेगी जो नामांकन स्वीकृत एवं अवैध होने की दशा में वापस नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल ऐसे सामान्य सदस्य जिन्होंने अपनी सदस्यता नियमित रूप से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो।

अ. ऐसे व्यक्ति जो संघ के पदाधिकारी हो, पश्चात्वर्ती चुनाव में उसी पद के लिए चुनाव नही लड़ सकेगा। हांलाकि ऐसा वे पांच वर्ष के अन्तराल के बाद कर सकेंगे।

ब. चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। किसी दशा में यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तब चुनाव अधिकारी की शक्तियां एल्डर्स कमेटी में निहित हो जायेगी। जो प्रत्येक वर्ष में जुलाई माह की 31 तारीख तक चुनाव सम्पन्न करा लेंगे।

स. संघ के महामंत्री प्रशासी परिषद की पूर्व अनुमति से जून माह के अन्तिम कार्यदिवस को अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे।

Amendment Of Rules

50. None of these Rules shall be altered or modified or rescinded nor shall any new rule be framed unless they have received the assent of two-third of the members present and voting, or by secret ballot, at a General Meeting convened for the purpose.

Procedure Of Election

51. The meeting of the General Body of the Association will be convened at least a month before the expiry of the term of the office bearers and shall fix a date for Election. The Elders Committee will assist the Returning Officer hold election and the Returning Officer will be entitled to include other member of the Association, provided they are not contesting the election and the result of the election shall be declared in the meeting of the General Body so convened by the Elders Committee.

In order to meet the heavy burden of expenditure of the Bar Association, the Elders Committee will also fix security money for various posts, which shall not be refundable after the nomination is accepted and found invalid. Only ordinary members, who have put in 2 years of continuous membership, will be entitled to vote and participate in the Election.

(A) The person, who has held office, will not be entitled to contest the coming election in sequence. However, he can recon test after a gap of 5 years.

(B) The out going president shall act as Returning Officer, to conduct the election. In case the President is not available then power of Returning Officer shall vest in Elders Committee which will hold the election till 31st of July of every calendar year.

(C) The Secretary of the Association with the approval of the Governing Council shall publish a final list on the last working day of June. Life/members of association, who have completed 2 years regular ordinary member-

जिसमें नियमित सामान्य सदस्य के रूप में 02 वर्ष पूरा कर लिया, मतदान करने का अधिकारी होगा। कोई आजीवन या सामान्य सदस्य प्रकाशित सूची से क्षुब्ध होने की दषा में ऐसे प्रकाषन की तिथि से 03 दिन के अन्दर प्रषासी परिशद के समक्ष अपना पक्ष लिखित रूप में रख सकेगा।

प्रशासी परिषद ऐसे प्रार्थनापत्र पर विचार करने के पश्चात् उसे दो दिन के अन्दर स्वीकार करेगा अथवा निरस्त करेगा। आवेदन स्वीकार होने की दशा में ऐसे सदस्य का नाम मतदाता सूची मे होना माना जायेगा। किन्तु ऐसे सदस्यों की एक अतिरिक्त सूची सूचनापट पर चस्पा की जायेगी। यह सूची चुनाव प्रक्रिया के लिए अन्तिम सूची होगी और इसके पश्चात् मतदाता सूची में कोई संशोधन स्वीकार नही होगा।

द. चुनाव अधिकारी अथवा एल्डर्स कमेटी जैसा हो प्रशासी परिषद की पूर्वानुमति से चुनाव के लिए नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी एवं चुनाव की तिथि निश्चित करेगा।

च. नामांकन पत्रों की जांच निर्धारित समय पर चुनाव अधिकारी द्वारा की जायेगी। नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात् वैध नामांकन पत्रों के प्रत्येक पद हेतु अक रादिवर्णानुक्रम में सूची सूचनापट पर प्रकाशित की जायेगी।

छ. कम से कम 3 दिन नामांकन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिए जायेंगे तदुपरान्त नामांकन पत्रों की जांच एक दिन तथा एक दिन नाम वापसी हेतु दिये जायेंगे। नाम वापसी की तिथि से कम से कम 7 दिन के पश्चात् चुनाव तिथि निश्चित की जायेगी।

ज. चुनाव में किसी पद के प्रत्याशी के द्वारा संघ के निर्धारित प्रारूप के नामांकन पत्र पर नामांकन शुल्क के रूप में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी। अध्यक्ष पद के लिए 1000/– उपाध्यक्ष के लिए 750/– अवैतनिक महामंत्री, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए 500/– प्रशासी परिषद के सदस्यों के लिए 250/– या समय–समय पर चुनाव के लिए जैसा प्रशासी परिषद द्वारा तय किया जाय।

ship, shall have voting power. Any life/member aggrieved by the list published shall have a right to make representation in writing before the Governing Council with in three days of publication of such list.

After due consideration Governing Council can accept or reject the representation within 2 days. In case of acceptance of representation of any member, the name of such member shall be deemed to be in the list, but an additional list of such members shall also be published on the notice board. This list shall be final voter list for election and no further amendment of voter list shall be permissible.

(D) The Returning Officer or the Elders Committee shall, after approval of the Governing Council fix the date and time for filling of nomination, scrutiny, withdrawal and election of office bearers.

(E) The scrutiny of the nomination papers shall be made by Returning Officer at the time fixed. After scrutiny a list of valid nominations for every office bearer be prepared in alphabetical order and be published on the notice board.

(F) At least three days time shall be given for filling nominations and there after next day for scrutiny and one day for withdrawal. The election date shall be fixed at least seven days after the withdrawal.

(G) Every candidate for election as office bearer shall along with prescribed nomination paper by Association deposit the following amount as nomination fee. For the post of President Rs.1000 and for the post of Vice President Rs.750/-, for the post of Honorary secretary, joint secretary and treasurer Rs.500/-and members of Governing Council 250/- or as fixed by governing council from time to time for election purpose.

(H) If any candidate withdraws his nomination within the

झ. यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित समय में अपना नामांकन वापस लेता है तो उसका नामांकन शुल्क वापस कर दिया जायेगा अन्य किसी भी दशा में नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

ञ. नाम वापसी की तिथि के पश्चात् चुनाव अधिकारी एवं एल्डर्स कमेटी मतपत्रों को तैयार कराएगी। चुनाव प्रत्याशियों के नाम प्रत्येक पद के लिए अकारादि वर्णानुक्रम में लिखी जायेगी।

ट. संघ का प्रत्येक आजीवन/सामान्य सदस्य प्रत्येक पद के लिए अपना एक वोट प्रत्याशी के नाम के आगे स्पष्ट (सही) चिन्ह के साथ अंकित करेगा।

ठ. चुनाव की तिथि को चुनाव अधिकारी एल्डर्स कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में मतदान से आधा घण्टा पूर्व मतपेटी को मुहरबन्द (सील) करेगा। मतदान के पश्चात् मतों की गणना और चुनाव परिणाम घोषित किया जायेगा। अस्पष्ट विरोधाभासी चिन्हों वाले मतपत्र अथवा नियम 55 (जे) के प्राविधान के विरूद्ध किया गया मतदान अवैध होने के कारण निरस्त कर दिया जायेगा।

ड. यदि कोई चुनाव प्रत्याशी चुनाव परिणाम की घोषणा से पूर्व लिखित रूप में बैध कारणों से पुनर्मतगणना हेतु आवेदन करता है तो चुनाव अधिकारी एल्डर्स कमेटी (वरिष्ठ समिति) के परामर्श से 1000/– रूपये जमा कराने की शर्त पर पुनर्मतगणना हेतु आदेश कर सकेगा। यदि चुनाव अधिकारी विचार करता है कि पुनर्मतगणना हेतु कोई बैध कारण नही है तो चुनाव अधिकारी का पैनल आवेदन पत्र निरस्त करेगा और चुनाव परिणाम घोषित करेगा जो अन्तिम होगा। किसी भी दशा में पुनर्मतगणना शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

ढ. चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की घोषणा या चुनाव से सम्बन्धित कोई बात अन्तिम होगी और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नही की जायेगी।

52. कोई निन्दा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव संघ के किसी पदाधिकारी के विरूद्ध संघ के चुनाव से छः माह के पश्चात् संघ के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव

time prescribed his nomination fee shall be refunded and in all other cases nomination fee shall not be refunded.

(I) After expiry of the date of with drawl the Returning Officer along with Elders Committee shall cause the ballot papers to be prepared. The name of contesting candidates for each post shall be written in alphabetical order.

(J) Every life/ordinary member of the association shall be entitled to cast one vote for one post, clearly marking in front of the candidate's name.

(K) On the date of election the Returning Officer in presence of Elders Committee shall seal the ballot box half an hour before voting. After the voting, the counting of votes and results of the election be declared. The ballot papers with ambiguous marks, unclear voting or voting against the provision of rule 51(j) shall be rejected as invalid.

(L) If any contesting candidate before, the election result is declared applies in writing for recounting giving valid reasons, the Returning Officer with the consultation of Elders Committee may order for recounting on payment of Rs.1000/- for each post. If Returning Officer thinks that there is no valid reason for recounting, the Panel of Returning Officer shall reject the application and declare the result which shall be final. The recounting fee will not be refundable in any case.

(M) Election proceedings, declaration of result or any thing pertaining to election shall be final and shall not be questioned in a Court of Law.

52. A vote of censure or no confidence against any office bearer of the Association may be brought after six months of the Election of the Association by a resolution in writing duly signed by more than half of the total members of the Association.

15. **सदस्य राहत कोष** – प्रत्येक सदस्य के मासिक चन्दे से रूपये 5/– अथवा जैसा भी संघ के सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर वृद्धि की जाय, अलग से बचत खाते में जमा की जायेगी। जिसे संघ के महामंत्री या कोषाध्यक्ष द्वारा सदस्य राहत के नाम से संचालित किया जायेगा। जिसका उपयोग तत्काल राहत के रूप में रूपये 10 हजार या जैसा सामान्य सदन समय–समय पर वृद्धि करे। संघ के नियमित विधि व्यवसायरत मृतक सदस्य को देने में की जायेगी। हांलाकि किसी भी दशा में उक्त राशि अनिवासी सदस्य को नही दी जायेगी।

16. **आकस्मिक चिकित्सा राहत कोष** – आकस्मिक चिकित्सा राहत कोष की राशि वकालतनामा तथा मेमो से प्रतिफार्म 5/–रूपये या जैसा सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जाय, में जमा की जायेगी।

17. **कन्याधन कोष** – कन्याधन कोष की राशि वकालतनामा और मेमो की राशि से रुपये 15/–प्रतिफार्म या जैसा सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जाय, जमा की जायेगी।

18. **कर्मचारी आकस्मिक राहत कोष** – इस कोष में लिपिकीय कर्मचारी के वेतन से 100/– तथा चपरासी के वेतन से 50/– और यही राशि क्रमशः संघ के द्वारा इस कोष में जमा की जायेगी। इस मद में अलग से खाता खोला जायेगा जिसका संचालन संघ के मंत्री और कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

19. **सदस्य विशेष राहत कोष** – सदस्य विशेष राहत कोष की राशि वकालतनामा, मेमो की धनराशि में से रुपये 80/– प्रतिफार्म या सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जाय इस मद मे जमा किया जायेगा।

*15 **Members Relief Fund** - Out of the monthly subscription of every member a sum of Rs, 5/- or as enhanced by the general body from time to time will be deposited in separate saving bank account operated by the Secretary and Treasurer under the name of Member Relief Fund which will be utilized for giving immediate relief of Rs, 10,000/- (Rs. Ten Thousand) or as enhanced by the general body from time to time to the family members of the deceased regular practicing member of the association. However in no case the said amount will be paid to a non resident member.

*16 **Emergency Medical Relief Fund** - Emergency Medical Relief Fund shall be derived from the contribution arising out of Vakalatnama and Memo, a sum of Rs. 5/- per form or as enhanced by the general body from time to time will be deposited in this fund.

*17 **Kanyadhan Fund** - Shall be derived from the contribution arising out of Vakalatnama and Memo, a sum of Rs. 15/- per form, or as enhanced by the general body from time to time, will be deposited in this fund.

***18A **Employee's Emergency Relief Fund** - This fund contains a sum of Rs. 100/- from the pay of clerical staff and Rs, 50/- per month from the pay of peon and same amount by association respectively. A separate account in this respect shall be opened which shall be operated by the Secretary and Treasurer.

***18B **Employees Pension Fund** - This fund shall be derive form the contribution arising out of Vakalatnama and Memo, a sum of rupee one per form or as enhanced by the general body from time to time shall go to this fund. A separate account in this respect shall be opened which shall be operated by ths Secretary and Treasurer.

*19 **Special Members Relief Fund** - Special Members Family Relief Fund shall be derived from the contribution arising out of Vakalatnama and Memo, a sum of Rs. 80/- per form or as enhanced by the general body from time to time shall go to this fund.

Note : ***Amended on 03.06.2017

भी आजीवन सदस्य को पुस्तकालय से पुस्तक या पत्रिका प्राप्त करने का अधिकार नही होगा।

परन्तुक यह है कि सन्दर्भित पुस्तके जैसे डाइजेस्ट, इन्डेक्स आफ केसेज, (वाद अनुक्रमणिका) शब्दकोष आदि ताजा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसी समय पुस्तकालय से बाहर नही ले जायी जायेंगी, जबतक संयुक्तमंत्री (द्वितीय) प्रभारी पुस्तकालय अनुमति नही देगा।

4. कार्यकारिणी की समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिये जा रहे निर्देशों के अधीन पुस्तके लॉ रिपोर्ट्स, लॉ जर्नल्स आदि साधारण सदस्यों को प्रभार शुल्क के साथ न्यायालय कार्यावधि में निम्नलिखित दरों से बाहर ले जा सकता है –

अ. यदि पुस्तक जारी करने के दिनांक से अगले दिन 12 बजे तक सेकी जाती है तो प्रति पुस्तक एक रूपया प्रत्येक न्यायालय कार्यदिवस के लिए वसूल की जायेगी।

ब. संयुक्तमंत्री पुस्तकालय प्रभार की अनुमति एवं महामंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित से आरक्षित पुस्तकें भी जारी की जा सकेगी और 2/– प्रतिदिन प्रति पुस्तक के भुगतान पर निर्गत की जा सकेगी।

स. यदि कोई सदस्य पुस्तक जारी होने के सातवें दिन तक पुस्तक अपने पास रोके रखता है तो उससे 3/– प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से पुस्तक जारी करने के आठवें दिन से 15वें दिन तक 3/–प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से उसके पष्चात् 16वें दिन से पुस्तक वापसी के दिन तक 5/–प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा।

शर्त यह है कि ऐसे सदस्य को तब तक कोई पुस्तक जारी नही की जायेगी जबतक कि उसको पूर्व में जारी पुस्तके उसे द्वारा जमा कर दी गयी है, या लगाया गया अर्थदण्ड जमा कर दिया गया है।

द. संघ के किसी सदस्य अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसके लिए पुस्तक जारी की गयी थी उसके द्वारा पुस्तक खो जाती है ऐसी दशा में सदस्य के अनुरोध पर सम्बन्धित सदस्य को खोयी हुई पुस्तक के बदले में पुस्तक जमा करने अथवा कार्यकारिणी द्वारा समय और शर्तों के अधीन निर्धारित मूल्य जमा करना होगा।

Provided that books of reference such as Digest, Index of cases, Dictionaries etc, current news papers and periodicals shall not be permitted to be taken out of the Library, at any time except with the special permission of Joint Secretary of the Library.

Subject to such directions as the Executive Committee may from time to time issue in this behalf books, Law reports and law Journals etc, may be issued to the ordinary members of the Association outside court hours on a fee chargeable at the following rate :-

(A) If the books are detained after 12 o' clock, following the date of issue, a charge of one rupee per volume will be made for each court day following the date of issue.

(B) Reserved book may also be issued with the permission of the Joint Secretary, In-charge and counter singed by the Honorary Secretary on payment of two rupees per day per book.

(C) If a member detains a book after 7th day from the date of issue, fine at the rate of Rs. 3/- per book per day shall be charged from the 8th day of issue till the 15th day and there after the fine will be charged at the rate of Rs.5/- per day from the 16th day till the date of return of the book.

Provided that no further books shall be issued unless the member concerned has returned the books already issued to him or has paid the penalty imposed on him.

(D) If any book, Law Journal or periodical etc, is lost by any member of the association or the person for whom the book etc, was issued as a special case on the request of any member, the member concerned shall have either to replace the book or books lost by him or to pay the price there of as determined by the Executive Committee within such time and on such terms as may be fixed by it.

परन्तुक यह है कि यदि पुस्तक खोने वाले सदस्य द्वारा पुस्तक खोने की सूचना संघ के महामंत्री को प्रदान की जाती है तो ऐसी पुस्तक के अर्थदण्ड की तिथि का निर्धारण पुस्तक खोने की सूचना देने की तिथि से समाप्त मानी जायेगी।

5. संघ से सम्बन्धित कोई भी पुस्तक पत्रिका, समाचार पत्र आदि पर न तो कुछ लिखा जायेगा, कोई छेड़छाड़ की जायेगी और न किसी रूप में पुस्तक को क्षति पंहुचायी जायेगी। ऐसा कोई सदस्य जिसके द्वारा ऐसा किया जाना कहा जाता है ऐसा सदस्य कार्यकारिणी द्वारा जैसा कार्यकारिणी उचित समझे लगाए गये अर्थदण्ड को निर्धारित अवधि में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित मूल्य पर संघ सार्वजनिक प्रारूप के प्रपत्र, वकालतनामा प्रमाण–पत्र, उपस्थिति का ज्ञापन (मेमोरेण्डम आफ एपीरियन्स) एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणपत्र जारी करेगा। सभी प्रपत्रों पर संघ की मुद्रा अंकित होगी एवं संघ के कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।

सभी सदस्यों के लिए संघ की मुद्रा वाले प्रपत्रों का प्रयोग किया जाना बाध्यकारी रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाला सदस्य सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति प्रारूप पर फार्म के मूल्य के साथ अर्थदण्ड 200/– (दो सौ) रूपया या जो सामान्य सदन उचित समझे और निर्धारित करे, सदस्य से वसूल किया जायेगा जो उसके मासिक चन्दे का भाग होगा।

नोट –नियमों के मुख्य शीर्षक एवं संख्याकन का संशोधन 28.03.2017 से प्रभावी होगा।

7. इस शीर्षक के अन्तर्गत नियम 4, 5 एवं 6 के अधीन किसी सदस्य से वसूल की जाने वाली कोई राशि यदि सदस्य के द्वारा निर्धारित समय में जमा नही किया जाता है तो उसे उसके मासिक चन्दे में जोड़ दिया जायेगा और उसे मासिक चन्दे की बकाया राशि माना जायेगा और वह इसी प्रकार से वसूल किये जाने योग्य होगा।

8. संघ के कक्षों एवं पुस्तकालय का प्रयोग संघ के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। कोई भी गैर सदस्य अथवा न्यायार्थी किसी सदस्य के बिना ऐसा उपयोग नहीं कर सकेगे। किसी भी समय पुस्तकालय कक्ष के अन्दर न्यायार्थियों से परामर्श कार्य की अनुमति नही दी जायेगी।

Provided that if the member losing the book etc, gives notice of such loss to the Secretary the penalty for the retention of such book etc, shall cease to be levied from the date of the receipt of the information of such loss by the Secretary.

*5. No book, periodical, Newspaper etc, belonging to the Association is to be written or scribbled or, torn or tampered with in any way. Any member reported to have done this, shall be liable to pay penalty within the time fixed by the Executive Committee which it may think fit to impose on him.

*6. The Association shall issue to the public forms of Vakalatnama, Certificate, Memorandum of appearance and Lawyer's fee certificate at the price fixed by the Executive Committee. The forms shall bear the seal of the Association, and shall be issued only through the office of the Association.

It shall be mandatory for every member of the Association to use the forms bearing the seal of the association. Any member making a breach of this rule shall be liable to a penalty of two hundred rupees or as fix by general body from time to time per form together with cost of the concerned form which shall be realized from him as a part of his monthly subscription.

*7. Any sum recoverable from any member under the rules 4, 5, and 6 of this head shall; if not paid by him within the time allowed, be added to his monthly subscription and shall be treated as arrears of monthly subscription, and the same shall be recoverable as such.

*8. The association rooms and the Library shall be used exclusively by the members only. Non-member or client shall not be permitted except at the instance of a member, for a short time. Consultation with clients shall not be permitted inside the Library at any time.

9. पुस्तकालय कक्ष में सभी सदस्यों से सख्ती से शान्त रहने की अपेक्षा की जायेगी।

10. संघ के कक्षों में गर्मागर्म और सजीव साम्प्रदायिक विवादित या अन्य आपत्तिजनक चर्चा किया जाना पूर्णतया निषिद्ध है।

11. नियम 15 के अन्तर्गत पुस्तकालय का एक पृथक कोष होगा। इस कोष में पुस्तकों, लॉ जर्नल (विधिक पत्रिका) के लिए प्राप्त दान पुस्तकालय निधि के लिए सदस्यों के चन्दे से प्राप्त राशि इस मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत नियम 6 से 8 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय तथा वार्षिक बजट से आंवटित धन जमा किया जायेगा।

कोष (निधि)

12. **सामान्य निधि** – मासिक एवं अन्य सदस्यों से प्राप्त चन्दे जैसे कि प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, वकालतनामा और मेमो छोड़कर अन्य फार्मों (प्रपत्रों) से प्राप्त आय संघ के सामान्य कोष में जमा की जायेगी। जिसे संघ के सेवको का वेतन देने एवं अन्य खर्च के लिए उपयोग किया जायेगा।

13. **आरक्षित कोष या निधि** – सामान्य निधि का कोई भाग सामान्य बैठक में आरक्षित कोष के रूप में चिन्हित किया जायेगा। आरक्षित कोष का कोई भाग किसी भी रूप में तब तक खर्च नहीं किया जायेगा जब तक संघ का समान्य सदन और आपातकाल की स्थिति में संघ की कार्यकारिणी द्वारा इस सम्बन्ध में संस्तुति नही कर दिया जाता।

सामान्य सदन द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक में संघ की आय जमा की जायेगी। संघ के महामंत्री को एक हजार से अधिक की राशि अपने पास रखने का अधिकार नहीं होगा।

14. **पुस्तकालय कोष** – प्रत्येक सदस्य के मासिक चन्दे से 6/– रू. की धनराशि अलग से बचत खाते में पुस्तकालय कोष के मद में संघ के महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा जमा एवं संचालित की जायेगी अथवा सामान्य सदन समय–समय पर जैसी वृद्धि करे।

*9. All persons shall be enjoined to observe strict silence in the Library room.

*10. Hot and animated discussions of a communal, controversial or otherwise objectionable character are strictly prohibited in the association rooms.

*11. There will be a separate fund for 'Library' as required by rule 43(c), In this fund amount recovered from donation towards books, law journals etc, monthly subscription of members towards library, and income accrued under rules 6 to 8 of this head and Annual Budget allocation will be deposited.

Funds

*12. **General Fund** - The income of the association from the monthly and other subscriptions received from members i.e. admission fee, license fee, contribution arising out of forms and other incomes except contribution on Vakalatnama and Memo, shall go to General Fund of the association which shall be applied in payment of salaries of the employees and other expenses of the Association.

*13. **Reserve Fund** - Any portion of the General Fund may be earmarked by the General Meeting as Reserve Fund. No portion of the Reserve Fund of the association shall be liable to be spent on any account whatsoever, unless it is specially sanctioned by the general body of the association in case of any emergency at the recommendation of the Executive Committee.

The income of the Association shall be deposited in such Banks as may be approved by the General Body. The secretary shall not be entitled to retain more than Rs. One Thousand (1000/-) in his hands.

*14. **Library Fund** - Out of the monthly subscription of every member a sum of Rs.5/- or as may be enhanced by the General body from time to time. will be deposited in separate saving bank account operated by the Secretary and Treasurer under the head of "Library Fund"

9. पुस्तकालय कक्ष में सभी सदस्यों से सख्ती से शान्त रहने की अपेक्षा की जायेगी।

10. संघ के कक्षों में गर्मागर्म और सजीव साम्प्रदायिक विवादित या अन्य आपत्तिजनक चर्चा किया जाना पूर्णतया निषिद्ध है।

11. नियम 15 के अन्तर्गत पुस्तकालय का एक पृथक कोष होगा। इस कोष में पुस्तकों, लॉ जर्नल (विधिक पत्रिका) के लिए प्राप्त दान पुस्तकालय निधि के लिए सदस्यों के चन्दे से प्राप्त राशि इस मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत नियम 6 से 8 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय तथा वार्षिक बजट से आंवटित धन जमा किया जायेगा।

कोष (निधि)

12. **सामान्य निधि** – मासिक एवं अन्य सदस्यों से प्राप्त चन्दे जैसे कि प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, वकालतनामा और मेमो. छोड़कर अन्य फार्म (प्रपत्रों) से प्राप्त आय संघ के सामान्य कोष में जमा की जायेगी। जिसे संघ के सेवको का वेतन देने एवं अन्य खर्च के लिए उपयोग किया जायेगा।

13. **आरक्षित कोष या निधि** – सामान्य निधि का कोई भाग सामान्य बैठक में आरक्षित कोष के रूप में चिन्हित किया जायेगा। आरक्षित कोष का कोई भाग किसी भी रूप में तब तक खर्च नहीं किया जायेगा जब तक संघ का समान्य सदन और आपातकाल की स्थिति में संघ की कार्यकारिणी द्वारा इस सम्बन्ध में संस्तुति नही कर दिया जाता।

सामान्य सदन द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक में संघ की आय जमा की जायेगी। संघ के महामंत्री को एक हजार से अधिक की राशि अपने पास रखने का अधिकार नहीं होगा।

14. **पुस्तकालय कोष** – प्रत्येक सदस्य के मासिक चन्दे से 6/– रू. की धनराशि अलग से बचत खाते में पुस्तकालय कोष के मद में संघ के महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा जमा एवं संचालित की जायेगी अथवा सामान्य सदन समय–समय पर जैसी वृद्धि करे।

9. All persons shall be enjoined to observe strict silence in the Library room.

10. Hot and animated discussions of a communal, controversial or otherwise objectionable character are strictly prohibited in the association rooms.

11. There will be a separate fund for 'Library' as required by rule 43(c), In this fund amount recovered from donation towards books, law journals etc, monthly subscription of members towards library, and income accrued under rules 6 to 8 of this head and Annual Budget allocation will be deposited.

Funds

12. **General Fund** - The income of the association from the monthly and other subscriptions received from members i.e. admission fee, license fee, contribution arising out of forms and other incomes except contribution on Vakalatnama and Memo, shall go to General Fund of the association which shall be applied in payment of salaries of the employees and other expenses of the Association.

13. **Reserve Fund** - Any portion of the General Fund may be earmarked by the General Meeting as Reserve Fund. No portion of the Reserve Fund of the association shall be liable to be spent on any account whatsoever, unless it is specially sanctioned by the general body of the association in case of any emergency at the recommendation of the Executive Committee.

The income of the Association shall be deposited in such Banks as may be approved by the General Body. The secretary shall not be entitled to retain more than Rs. One Thousand (1000/-) in his hands.

14. **Library Fund** - Out of the monthly subscription of every member a sum of Rs.5/- or as may be enhanced by the General body from time to time. will be deposited in separate saving bank account operated by the Secretary and Treasurer under the head of "Library Fund"

संघ के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण योजना

20. I. इस योजना के अन्तर्गत एतद्पश्चात् नियमों के अधीन योग्य सदस्यों की सूची प्रशासी परिषद प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में तैयार कर प्रकाशन करेगी।

II. यदि आजीवन/सामान्य सदस्य जो नियमित रूप से फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय कर रहा है, की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामिनी को 2,50,000/– या जैसा सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जाय, की धनराशि दी जायेगी; यद्यपि कि कोई सदस्य जिसने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित अधिवक्ता के रूप में 40 वर्ष तक वकालत किया है और अपने विधि व्यवसाय का लाइसेंस मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी पर्याप्त कारण से उसका विधि व्यवसाय प्रभावित हो रहा हो, अभ्यर्पित करना चाहता है तो वह सदस्य विशेष राहत कोष में से 80 प्रतिशत राशि सामान्य सभा की संस्तुति पर बार कौंसिल आफ उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र जमा करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यह भी प्राविधानित किया जाता है कि यदि कोई सदस्य किसी भी अवस्था में शारीरिक अथवा मानसिक अपंगता या कमी के कारण विधि व्यवसाय करने में असमर्थ हो जाता है और विधि व्यवसाय जारी रखने में असमर्थ है तो वह सदस्य भी उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् इसी लाभ का अधिकारी होगा। हांलाकि यह भी प्राविधानित किया गया है कि केवल पांच ऐसे प्रकरण प्रथम वर्ष आकस्मिक परिस्थितियों के अनुसार संघ द्वारा विचारित किये जायेंगे। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के प्रकाश में ऐसे सदस्य संघ की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के अधिकारी नहीं होंगे।

III. केवल ऐसे आजीवन/सामान्य सदस्य जो फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित विधि व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्होंने नियमों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप को भरकर जमा कर दिया है, वही सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यदि किसी सदस्य के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में फार्म को जमा नही किया गया है तो ऐसे सदस्य के आश्रित इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के अधिकारी नही होंगे।

Welfare Scheme For The Members and Their Dependents

20.(1) The governing council shall prepare a list of eligible members under this scheme according to sub rules hereinafter contained and publish it in every year in the month of December.

*(2) If a life/ordinary regular practicing member of this association at Faizabad Head Quarter dies, his 'nominee' shall get an amount of Rs. 2,50,000/- or as enhanced by general body from time to time under this scheme.*** However if any member who has attained the age of 70 years and has actively rendered 40 years of professional service as an advocate at Faizabad head quarter, wants to surrender his practicing license due to mental or physical infirmity or any other sufficient reason affecting his legal profession, he shall be eligible to get 80% amount of special member relief fund on the sanction of the General Body of Association subject to production of acceptance certificate of surrender from Bar Council of Uttar Pradesh Allahabad. It is also provided that if any member becomes permanent disable for practice at any age due to physical/mental infirmity/disorder and is unable to continue the legal profession, he shall also be eligible to get the same benefit after the completion of above formalities. However it is also provided that only five cases in a year shall be considered by the Association under the emergent circumstances. It is noteworthy that in view of above, such member shall not be eligible to get any of the benefits under the various welfare schemes of the Association.

(3) Only those life/ordinary regular practicing members of Association at Faizabad Head Quarter will be entitled to get benefit under this scheme who have submitted duly filled up form as provided by the rules. If the member has not submitted dully filled up form under this scheme, his/her dependents shall not be entitled to any benefit under this scheme.

यदि किसी फार्म में उत्तराधिकारी नामित नही किया गया है तो मृतक के पति/पत्नी क अनुपस्थिति में उक्त धनराशि उसके पुत्री/पुत्रों और यदि कोई पुरूष सन्तान नही है तो पुत्री/पुत्रियों को दी जायेगी। कोई आजीवन/सामान्य सदस्य जो ऐसे फार्म में कोई असत्य घोषणा करता है और सदस्य जो उपरोक्त फार्म में असत्य प्रमाणपत्र देते हैं, इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित कर दिये जायेंगे।

IV. संघ की कार्यकारिणी दिसम्बर माह में फार्मस की जांच करेगी और सही पाये जाने वाले और स्वीकृत फार्म सूची प्रकाशित की जायेगी। अपूर्ण या गलत पाये जाने वाले फार्म अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

V. इस प्रकार से तैयार की गयी सूची पर प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में कार्यकारिणी पुनः विचार करेगी, यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में होने के बावजूद फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित विधि व्यवसाय करता नहीं पाया जाता तो उसका फार्म उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद सूची से काट दिया जायेगा।

VI. कोई व्यक्ति जिसने फैजाबाद अधिवक्ता संघ की सदस्यता 40 वर्ष पूर्ण करके अथवा नौकरी से अवकाश प्राप्त करके या पेंशनर या सेवा में होने के समय जहां कि सेवा शर्तों में नौकरी के दौरान विधि व्यवसाय करना अनुमन्य हो, डी0जी0सी0 अथवा ए0डी0जी0सी0 को उपर्युक्त योजना का लाभ नही प्राप्त होगा। शर्त यह है कि डी0जी0सी0 या ए0डी0जी0सी0 का इस योजना के अन्तर्गत लाभ तभी प्राप्त होगा यदि वे 200/– प्रतिमाह अपने मासिक चन्दे के साथ अपनी ऐसी कार्यावधि के दौरान जमा करते हैं। नोटरी अधिवक्ता भी 75/–प्रतिमाह अथवा सामान्य सदन द्वारा जैसा कि समय समय पर निर्देशित किया जाय और मासिक चन्दे के साथ जमा करेंगे।

पुनः यह प्राविधानित किया जाता है कि यह नियम ऐसे सदस्यों पर लागू नही होगा जो नियमित एवं सक्रिय रूप से

In case there is no nomination in the form, the spouse of the deceased member will get the payable amount and in his/her absence the said sum will be paid to his son or sons and if there is no male issue then to daughter or daughters.

A life/ordinary member who makes any false declaration in the forms and those members who gives false certificate in the above mentioned form will be debarred from the benefits available under this scheme.

(4) The Executive Committee will scrutinize the forms in the month of December and publish the list of the forms found to be correct and accepted. The forms found to be incomplete or false shall be rejected.

(5) The executive committee will reconsider the list prepared in the manner above in the first week of "January" every year. In case any person enumerated in the list is found not to be in active practice at Faizabad Head Quarter, his name will be struck off from the list after affording him a reasonable opportunity of hearing.

(6) A person who has taken membership of the Bar Association Faizabad after the age of 40 years or after retirement from service or a pensioner or a person who is still in service, where service conditions allow legal practice D.G.C. or A.D.G.C., shall not be entitled to benefit of the above mentioned scheme. Provided that D.G.C. or A.D.G.C. shall be entitled to get benefit under this scheme if they deposit Rs. 200/- per month along with their monthly subscription during their tenure. The notary advocates shall also deposit Rs. 75/- per month or as directed by general body from time to time along with their monthly subscription. (Added w.e.f. 22.11.2003 Before Model By Laws Rule 14 & 1000)

It is further provided that this rule shall not apply to those members who are still regularly and actively practicing at Faizabad head Quarter and have been regular member of this Association only and whose membership was temporarily sus-

फैजाबाद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय करते रहे है और अधिवक्ता संघ फैजाबाद के नियमित सदस्य रहे हैं और जिनकी संघ की सदस्यता अस्थाई रूप से निलम्बित या समपहरित कर ली गयी है। ऐसे सदस्य यदि नवीन सदस्यता हेतु आवेदन करते हैं और 500/– अर्थदण्ड के साथ ऐसे समपहरण के दो वर्ष के अन्दर समस्त बकाया जमा कर देते हैं।

परन्तुक यह है कि मृतक सदस्य अपनी लम्बी बीमारी या खराब स्वास्थ्य के कारण सक्रिय विधि व्यवसाय मे नही है और नियमित सदस्य है वे इस योजना के लाभ से वंचित नही किये जायेंगे बशर्ते उसने लिखित रूप में अपनी बीमारी की सूचना कार्यकारिणी को दे दिया है और अपनी मृत्यु के पूर्व छः माह से अधिक संघ का कोई देय बकाया न हो।

VII. संघ का कोई सदस्य या पदाधिकारी यदि सामान्य सदन के द्वारा विवर्जित (अलग) कर दिया जाता है उसके पश्चात् विवर्जित सदस्य या पदाधिकारी कोई अन्यथा आदेश किसी प्राधिकारी से इस सम्बन्ध में लेकर आता है तो उक्त सदस्य संघ की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा।

VIII. प्रशासी परिषद उपरोक्त के एक माह के अन्दर समुचित भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी असफल होने पर 10 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड प्रशासी परिषद/कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य पर 10 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा और इसकी वसूली मासिक चन्दे में जोड़कर बकाए के रूप में की जायेगी। गलत भुगतान के लिए प्रशासी परिषद इसकी वापसी के लिए उत्तरदायी होगी।

आकस्मिक चिकित्सा राहत कोष

21. (1) फैजाबाद मुख्यालय पर नियमित रूप से विधि व्यवसाय कर रहे संघ के प्रत्येक आजीवन/साधारण सदस्य को आकस्मिक चिकित्सा राहत की राशि दी जा सकेगी।

(2) यह उपचार राशि संघ की कार्यकारिणी द्वारा सदस्य की मेडिकल

pended or forfeited by the association and if such members apply for new membership and pays all the arrears and penalty of rupees 500/- within two years from the date of forfeiture.

Provided that if the deceased member due to his prolonged illness or ill health is not in active practice, subject to his being regular member, he shall not be debarred from benefit of this scheme, in case he has intimated to the Executive Committee in writing about his illness and is not in arrears of any dues for a period of not more than six months before his death.

*(7) If any member or office bearer has been debarred by the general body of the Association from being the member of the Association and afterwards, the debarred member or the office bearer brings an otherwise order from any authority whatsoever, in that respect, then in that case, the said member shall not be entitled to get any sort of benefit under the various welfare schemes of the Faizabad Bar Association, Faizabad.

*(8) The Governing Council shall be responsible for the proper payment of the above within a period of one month from the date of application positively failing which a penalty to the tune of Rs. 10,000/- shall be imposed on every member of the governing council/executive and it shall be realized as arrears by adding it to the monthly subscription. In case of wrong payment, the Governing Council shall be responsible for its refund.

Emergency Medical Relief Fund

21.(1) An emergency medical relief may be given to every life/ordinary member of the Association actively practicing at Faizabad Head Quarter.

(2) This relief shall be given only when the Executive Committee of the Association after scrutinizing medical reports or otherwise is satisfied about the genuineness and gravity of the dis-

रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् या अन्यथा रूप में बीमारी की गम्भीरता और गम्भीरता से संतुष्ट होने पर दी जा सकेगी।

(3) इस योजना के अन्तर्गत यह उपचार राशि 20,000/–रुपये (बीस हजार) की सीमा तक या जैसा सामान्य सदन समय–समय पर बढ़ोत्तरी करे। एक मुश्त या किश्तों में जैसा कार्यकारिणी उचित समझे दी जा सकेगी।

(4) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को संघ के द्वारा दी गयी धनराशि बीमारी से ठीक होने के बाद वापस करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उक्त धनराशि सदस्य के कुटुम्ब राहत कोश की योजना में से ले ली जायेगी। यदि सम्बन्धित सदस्य के द्वारा छः माह के अन्दर धनराशि वापस नही की जाती है तो इसकी वसूली प्रशासी परिषद द्वारा निर्धारित चन्दे की किष्तों के रूप में की जायेगी। यदि सम्बन्धित सदस्य बीमारी से ठीक नही हुआ है तो प्रषासी परिषद को यह अधिकार है कि सदस्य के प्रार्थनापत्र जो आवश्यक चिकित्सा अभिलेखों से समर्पित हो या जैसा उचित हो, वसूली हेतु समय को बढ़ा सकता है।

(5) कोई व्यक्ति जिसने इस योजना के अन्तर्गत बीस हजार रुपये की धनराशि प्राप्त कर लिया है उसको पुनः इस कोश से राहत राशि देने हेतु विचार नही किया जायेगा जबतक कि उसके द्वारा पूर्व में ली गयी धनराशि संघ को वापस न कर दी गयी हो।

(6) यदि किसी को इस मद में किसी सदस्य को जो पात्र नही है, मनमाने तरीके से धनराशि दी जाती है तो ऐसी धनराशि प्रशासी परिषद के सदस्यों से संयुक्त रूप से वसूल की जायेगी।

(7) आकस्मिक चिकित्सा राहत कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित बीमारियां या तकलीफें लाभार्थी को होना आवश्यक है –

I. गम्भीर हृदय रोग या हृदय से सम्बन्धित शल्य किया।
II. गम्भीर गुर्दे की समस्या या उससे सम्बन्धित शल्यकिया।
III. कर्क (कैंसर) रोग।
IV. मस्तिष्क आघात।

case. However the application shall be decided by the governing council within one week from its receipt.

(3) The relief under this scheme shall be given up to the extent of 20,000/- (twenty thousand) only or as enhanced by the general body from time to time. Payment can be made in lump sum or in parts as the Executive Committee deems fit and proper.

(4) It will be mandatory for every beneficiary under this scheme to return the amount given by the Association after recovery from the disease/ailment. In case the member concerned dies, said amount will be deducted from the member family relief fund scheme. In case the amount in not returned by the member concerned after six months, the same shall be realized in installments as fixed by Governing Council as an arrear of subscription. In case the member concerned has not recovered from the ailment, the Governing Council is empowered to extend time of realization on an application moved by member supported by relevant medical documents or as the case may be.

(5) A person who has availed the benefit under this scheme up to Rs. 20,000/- (twenty thousand) shall in no case be considered for giving relief from this fund again, unless he has returned back the entire amount to the Association.

(6) If the amount under this heads is paid in arbitrary manner to any member who is not even eligible to get it the said amount shall be realized from the members of the Governing Council collectively.

(7) Under emergency medical relief fund the following diseases or ailment is necessary for beneficiaries.

I. Serious heart disease or operation relating to heart.
II. Serious kidney problem or operation relating to it.
III. Cancer
IV. Brain Hemorrhage

V. गैंगरीन (नासूर)।

VI. पक्षघात या लकवा।

VII. कोई मृत्युकारक दुर्घटना।

VIII. कोई अन्य गम्भीर बीमारी।

कन्याधन

8. अ. कन्याधन योजना का उद्देश्य संघ के नियमित विधि व्यवसाय कर रहे सदस्यों की पुत्री के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ब. इस योजना के अन्तर्गत रुपये 11000/– या जैसा समय–समय पर सामान्य सदन द्वारा निर्धारित किया जाय, संघ के सदस्यों की पुत्री के विवाह के समय पर दिया जायेगा।

22. **सामूहिक बीमा योजना**

संघ का प्रशासी परिषद संघ के सामान्य सदन के अनुमोदन से संघ के पात्र सदस्यों का समूह बीमा योजना के अन्तर्गत किसी बीमा कम्पनी से जैसा उचित समझे बीमा करा सकती है और इसके लिए तदनुसार निधि सृजित कर सकती है।

23. **कर्मचारी भविष्य निधि**

संघ के स्थाई लिपिकीय कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारी भविश्य निधि योजना सृजित की गयी है। इस निधि के लिए संघ का कोई कर्मचारी सदस्य कार्यकारिणी की सहमति से अपने वेतन से 12.5 प्रतिशत अंशदान करेगा जबकि उसके वेतन का 6.5 प्रतिशत अंशदान के रुप में संघ द्वारा वहन किया जायेगा। कर्मचारी भविष्य निधि की बचत सामान्य सदन द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में जमा की जायेगी और संघ के कर्मचारी सदस्य को उसके सेवा से अवकाश लेने पर अदा की जायेगी।

शर्त यह है कि यदि कोई ऐसा सदस्य संघ की सेवा से निकाल दिया गया है तो उसकी देयताएं संघ के अंशदान की सीमा तक पूर्ण या आंशिक रूप से जैसा संघ की सामान्य बैठक में निश्चय किया जाय, समपहरित की जा सकेगी।

V. Gangrene

VI. Paralysis

VII. Any fatal Accident

VIII. Any other serious illness.

Kanya Dhan

(8) A- This kanya dhan scheme is meant for financial assistance to the marriage of the daughter of the members who are actively practicing at the Faizabad Head Quarter.

B- Under this scheme Rs. 11,000/- or as fixed by general body by time to time shall be given to the member concerned at the time of the marriage of his/her daughter.

22. ***Group Insurance Scheme*** - Governing Council with the approval of the general body may insure the eligible members of the association under group insurance scheme from any insurance company as it may think fit and may create its fund accordingly.

23. ***Provident Fund of Staff*** For the benefit of the permanent ministerial and menial staff of the Association, scheme of a Provident Fund is created. To such fund any member of the Staff may, subject to the approval of the Executive Committee, contribute up to 12½ % of his pay, while 6¼% of his pay shall be contributed by the Association. The savings under the Provident Fund shall be deposited in any Bank Approved by the General Body and shall be payable to the member of the staff concerned on his retirement from the service of the association.

Provided that if any such member is dismissed from the service of the association the dues owing to such member shall be liable to forfeiture to the association wholly or in part to the extent of the contribution made by the association as may be decided in a General Meeting of the association.

24. **सामाजिक उत्सव**

1. संघ में सामाजिक उत्सव निम्न रूप में किया जा सकेगा –
   (अ) विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में स्वागत।
   (ब) सदस्यों के व्यवसाय से अवकाश लेने या फैजाबाद मुख्यालय से स्थाई रूप से अलग होने या न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं अवकाश लेने के समय विदायी समारोह।
   (स) संघ के किसी सदस्य को किसी विशेष प्रकार का सम्मान या योग्यता प्राप्त होने पर या उसकी सार्वजनिक रूप से की गयी सेवाओं की प्रशंसा के लिए सार्वजनिक सम्मान में उत्सव।
   (द) पारस्परिक मनोविनोद के लिए

2. संघ के सामान्य सदन की बैठक में सार्वजनिक उत्सव की उपयुक्तता और उसके प्रारूप पर निर्णय लिया जायेगा। शर्त यह है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी के सम्मान में कोई भी विदायी या अन्य समारोह नहीं किया जायेगा, जब तक कि–
   (अ) वह वकीलों और वादकारियों के प्रति विचारशील सहयोगी और समान रूप से उदार रहा हो।
   (ब) वह समान रूप से अपने सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन में सदैव न्यायशील और विचारवान रहा हो।

3. किसी सार्वजनिक उत्सव के आयोजन या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए जो संघ का सदस्य नही है, के लिए सामाजिक उत्सव के आयोजन के लिए संघ में साठ सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्राप्त होने पर संघ के महामंत्री यथाशीघ्र इस पर विचार करने के लिए संघ की सामान्य बैठक बुलाएंगे।

नोट/टिप्पणी– संख्याकन में दिनांक 28.03.2017 से परिवर्तन किया जाय।

प्राविधानित किया जाता है कि राष्ट्रीय समारोह जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती और 3 दिसम्बर डॉ राजेन्द्र प्रसाद का जन्म दिवस जिसे अधिवक्ता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक वर्ष इन्ही तिथियों में मनाए जायेंगे। बजट तैयार करते समय कार्यकारिणी समुचित निधि आवंटित करेंगी।

Social Functions

24. 1. Social functions in the Association may take the form of :-
   (a) Receptions in honor of distinguished guests.
   (b) Farewell parties to members on the eve of their retirement from the profession or permanent departure from Faizabad, or to Judicial Officers on the eve of their retirement or transfer.
   (c) Social gatherings on the occasion of the conferment of any distinction or honor on any member of the association, or in appreciation of his special service to the public.
   (d) Entertainments for mutual social enjoyment.

2. The Association in its General Meeting shall be the sole authority to decide on the propriety and form of a social function; Provided that no farewell or other party shall be given in honor of any judicial officer, unless.
   (a) he has been uniformly courteous, accommodating and considerate to lawyers and litigants, and
   (b) he has been uniformly just and conscientious in the discharge of his public duties.

3. On the receipt of a requisition signed by not less than 60 members of the Association for organizing a Social Function or for any purpose set forth in the requisition in honour of persons not members of this Association, the Secretary shall call a General Meeting of the Association as early as possible to, consider the same.

Provided that the national functions namely 26th of January Republic Day, 15th August Independence Day 2nd October Gandhi Jayanti and 3rd December Dr.Rajendra Prasad's birth day which is also known as "Lawyers Day" shall be celebrated on the same date each year. The Executive Committee shall allocate funds while preparing the Annual Budget.

4. नियम–3 के अतिरिक्त किसी अन्य सामाजिक उत्सव से सम्बन्धित व्यय उस निमित्त निर्धारित विशेष चन्दे से किया जायेगा। संघ के निधि का कोई भाग इस मद में खर्च नही किया जायेगा।

संघ के सदस्य तथा प्रशासी परिषद के सदस्यों के दण्ड की प्रकिया

25. जब किसी सदस्य के चरित्र, सम्मान या व्यवसाय को प्रभावित करने वाला कोई प्रश्न संघ की जानकारी में लाया जाता है तो संघ की कार्यकारिणी सम्बन्धित सदस्य को नोटिस देने के पश्चात् आचरण की जांच करेगी। वह उसकी इच्छानुसार उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगी, सुनवाई करेगी, परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे तो साक्ष्य अभिलिखित करेगी।

यदि प्रशासी परिषद में उपस्थित सदस्यों के बहुमत का विचार है कि सदस्य दोषी है तो प्रशासी परिषद के सदस्य अपना निर्णय महामंत्री को देंगे।

महामंत्री उसके पश्चात् सम्बन्धित सदस्य को कम से कम सात दिन की नोटिस देकर यथाशीघ्र संघ की विशेष सामान्य बैठक बुलाएंगे।

इस विशेष सामान्य बैठक में सम्बन्धित सदस्य को निन्दा प्रस्ताव या 2000/–रुपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा अथवा उसे संघ की सदस्यता से निकाला जा सकता है या दोनो। अर्थदण्ड लगाए जाने की दशा में ऐसा अर्थदण्ड लगाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा।

यदि सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात सामान्य सदन में यह निर्णय किया जाता है कि सम्बन्धित सदस्य का नाम संघ की सूची से हटा दिया जाय तो महामंत्री इस निर्णय को क्रियान्वित करेगा और इसका नाम संघ की सदस्यता से हटा देगा।

प्राविधानित किया जाता है कि यदि सामान्य सदन किसी गलती करने वाले सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहता है तो इस नियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी – परिवर्तित संख्याकन दिनांक 28.03.2017

4. The expenses to be incurred in connection with any other social function except given in rule 3 shall be met out of the Special subscription to be raised for the purpose. No portion of the funds of the association shall be utilized on this account.

**Procedure of punishment to member and members of the governing council*

*25. When any question affecting the character, honour or professional status of any member, is brought to the notice of the Association, the Executive Committee shall forth with hold an enquiry into the conduct of the member concerned, after giving him due notice. It shall take such explanation from him as he desires to offer and hear or record such evidence as it considers necessary under the circumstances.

If the majority of the members of the Governing Council present at the meeting considers that the member concerned is at fault, the members will submit their decision to the Secretary accordingly.

The secretary shall, there upon convene a Special General Meeting of the Association as soon as possible of which at least 7 days notice shall be given to the member concerned.

In this special general meeting the concerned member may be punished by a vote of censure or a fine up to Rs. 2000/- (Two thousand) may be imposed on him or he may be expelled from the membership of the association or both. In case a fine is imposed the same shall be payable within a period of thirty days from the date of imposition.

If, after the consideration of all the circumstances, it is decided at the General Meeting that the name of the members concerned should be removed from the roll of the Association, the Secretary shall give effect to the decision by removing his name from the membership of the Association.

Provided that if feeling aggrieved by conduct of any member, during meeting of the General Body, the General Body wants to take any action against the erring member, the provisions of this rule shall not apply.

26. यदि कोई शिकायत प्रशासी परिषद के किसी सदस्य के विरूद्ध उसके मिथ्या आचरण, नैतिक कदाचार, संघ की सम्पत्ति या कोष के दुर्विनियोग के लिए की जाती है तो ऐसी शिकायत संघ के वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष (एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन) या संघ के अध्यक्ष जैसा उचित हो के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जो प्रकरण में उसके पश्चात् प्रकरण की जांच कराएंगे। जांचोपरान्त सात दिन के अन्दर उक्त आशय की आख्या सामान्य सदन के समक्ष चेयरमैन/अध्यक्ष के समक्ष विचार तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए सात दिन की संक्षिप्त नोटिस देकर विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

27. सामान्य सदन के निर्देश पर यदि यह पाया जाता है कि महामंत्री/कोषाध्यक्ष या दोनों संघ की सम्पत्ति या उसकी निधि का दुर्विनियोग करने का दोषी पाया जाता है तथा उनकी वित्तीय शक्तियों को समाप्त करने का निर्देश सामान्य सदन द्वारा दिया गया है तो संयुक्तमंत्री प्रशासन एवं संयुक्तमंत्री पुस्तकालय एवं प्रकाशन प्रभार वित्तीय कार्य और बैंक एकाउन्ट का संचालन मंत्री/कोषाध्यक्ष के रूप में सभी अधिकारों के साथ उनकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। सामान्य सदन द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्णय का प्रभावी अनुपालन किया जायेगा।

28. **विविध**

1. संघ के सामान्य सदन की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी जो संघ की संघ की संवैधानिक संस्थाओं की सामान्य परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सम्पूर्ण प्रक्रियाओं को नियन्त्रित करने का एकमात्र अधिकारी होगा और जैसा वह उचित समझे व्यवस्था बनाएगा। वह व्यवस्था एवं आदेशों के सभी विन्दुओं का एकमात्र न्यायाधीश होगा और उसका निर्णय संघ के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

*26. In case of any complaint made against any member of Governing Council about his/ her misconduct, moral turpitude, professional misconduct or misappropriation of fund and property of the association, the complaint shall be made either before the Chairman of Elders Committee or the President of the Association as the case may be. who will set up an enquiry into the matter forthwith and after completion of enquiry positively within a period of seven days, a report shall be submitted before the general body by the Chairman/President for due consideration and necessary action after circulating a short notice of seven days among the members of Bar before convening the meeting of the general body as mentioned above. If the General Body finds the member guilty it shall punish him according to the gravity of offence. If any penalty is imposed on such member the same shall be recovered as arrears of subscription fees.

*27. Besides as per the decision of the general body, if it is found that Secretary/Treasurer or both are found guilty of misappropriation of fund and property of the Association their administrative and financial power shall be ceased and Joint Secretary Administration and Joint Secretary in-charge of Library forms and publication will enjoy and exercise all the power including financial function and bank account operation as Secretary/Treasurer respectively. The above decision given by the general body shall be complied with effectively.

Miscellaneous

*28. (1) The meeting of General Body shall be presided by the President of Bar Association, who shall have absolute authority to regulate its proceedings in conformity with general practice of constitutional bodies and to maintain order in such manner as he may deem fit. He shall be sole judge of all points of order and his decision shall be binding on the members of the Association.

2. संघ के सामान्य सदन में किसी बैठक के दौरान कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के भाषण में हस्तक्षेप नही करेगा और यदि वह ऐसा करता है तो सम्बन्धित सदस्य मिथ्या आचरण का दोषी होगा। बैठक का अध्यक्ष उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही जैसे वित्तीयदण्ड या उचित समय के लिए संघ से निष्कासन करेगा। वह व्यवस्था एवं आदेशों का एकमात्र निर्णायक होगा और उसका निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

3. संघ की समस्त सामान्य बैठकें कार्यकारिणी की बैठकें तथा उपसमितियों की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतया संघ के अध्यक्ष करेंगे अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। दोनो की अनुपस्थिति की दशा में एल्डर्स कमेटी (वरिष्ठ समिति) के चेयरमैन या सदस्य अपने बीच में से किसी एक को अध्यक्ष के लिए चुनेंगे और मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे।

4. किसी भी प्रकार की अभद्रता या अवांछनीय व्यवहार संघ के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की ओर से या उनके लिपिकीय कर्मचारियों की ओर से अथवा उनके द्वारा किसी वैधानिक नियम या प्रकिया का जानबूझ कर उल्लंघन करने के मामलों की शिकायत सम्बन्धित सदस्य द्वारा संघ के संज्ञान में लायी जाती है तो उसकी जांच संघ के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त उद्देश्य के लिए संघ में महामंत्री के द्वारा संघ की विशेष सामान्य बैठक आहूत की जायेगी, जो ऐसी शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर बुलाई जायेगी तथा सामान्य सदन इस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए अपनाई जाने वाली समुचित प्रकिया का निर्णय करेगा।

5. यदि संघ की जानकारी में यह तथ्य लाया जाता है अथवा अन्यथा रूप से यह ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति अभ्यस्त रूप (आदतन) से दलाल या विचौलिए के तरीके से काम कर रहा है तो उसका नाम संबन्धित अधिकारियों को इसी रूप में घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट कर दिया जायेगा।

(2) During any type of meeting of the General Body of the Association, no member shall interrupt in the speech of any other member if he or she does so, it will be a misconduct of the member concerned. The president of the meeting must take necessary action like financial punishment or expulsion from association for reasonable time. The president shall be the sole judge of all points of order and his decision shall be binding on the member concerned.

(3) All general meetings of the Association, Executive Committee and subcommittee shall usually be presided over by the President or in his absence by the Vice-President. In case both are absent then Chairman or a members of the Elders Committee present at the meeting shall be entitled to preside the meeting.

(4) Complaints regarding incivility or undesirable behavior towards any member or members of the association on the part of the Presiding Officers of the Courts or their ministerial Staff, or regarding deliberate violation by them of any legal rules or procedure, shall, if brought to the notice of the Association by the member concerned, be enquired into by the Association. The secretary shall convene a Special General Meeting of the Association for the above purpose; within seven days after the receipt of any such complaint and the General Body shall decide the proper course of action to be adopted in this regard.

(5) If it is brought to the notice of the association by evidence of general repute or otherwise that any person is habitually acting as a tout, his name shall be reported to the authorities concerned for his being declared a tout.

6. एतदपूर्व निहित नियमों के सिवाय संघ के किसी सदस्य पूर्व सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो भी हो, से संघ की बकाया धनराशि संघ के नाम से महामंत्री के द्वारा संस्थित किये जाने वाले वाद के द्वारा वसूल की जा सकेगी।

7. संघ के 60 वैध सदस्यों से कम के हस्ताक्षर वाला कोई प्रस्ताव सामान्य सदन के समक्ष कार्यकारिणी में अनुमोदन एवं विचार के विना नही प्रस्तुत किया जायेगा।

8. संघ के किसी सदस्य के द्वारा सूचना देने पर या निज विवेक से संघ में अध्यक्ष या महामंत्री कार्यकारिणी के पूर्वानुमोदन के विना निम्नलिखित नियमों के अधीन संघ के सामान्य सदन की शोकसभा सीधे आहूत कर सकेंगे :–

(अ) यदि मृत्यु संघ के किसी सदस्य, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय उच्चतम् न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश या ऐसा न्यायिक अधिकारी जो मृत्यु से पूर्व फैजाबाद मुख्यालय पर कार्यरत रहा हो, अथवा जनपद का कोई अति महत्वपूर्ण विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की है तो त्वरित सन्दर्भ हेतु बैठक अविलम्ब बुलाई जायेगी।

(ब) यदि मृत्यु संघ के किसी सदस्य के इतर अधिवक्ता की हुई है, संघ के किसी सदस्य के परिवारिक सदस्य की मृत्यु हुई है, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अथवा जनपद मुख्यालय पर तैनात रहे न्यायिक अधिकारी की मृत्यु हुई हो, बैठक 3 बजे से पूर्व नही बुलाई जायेगी। परन्तुक यह है कि किसी भी शोकसभा के लिए किसी भी समय गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

विशेष चन्दा यदि कोई हो

9. संघ के प्रत्येक सदस्य को संघ के सामान्य सदन के द्वारा किसी विशेष प्रयोजन हेतु पारित किये गये विशेष चन्दे की राशि देय होगी जो निर्धारित समय में सम्बन्धित उद्देश्य के लिए उपयोग की जायेगी।

(6) Not-withstanding any thing herein before contained, any amount due to the association from any member, ex-member or any person, on any account what so ever, shall also be recoverable by a suit to be brought in the name of the association through the Secretary.

(7) No resolution unless signed by sixty valid members shall be put before the General Body without prior consideration and approval of the Executive Committee.

(8) On information by any member or of his own motion the President or Secretary may call a condolence meeting of the general body directly without prior approval of the Executive Committee in accordance with following provision as the case may be;

(a) If death is of a member of the Association, a sitting judge of the Honorable High Court of Judicature at Allahabad or Honorable Supreme Court, a judicial officer who was immediately before his death, posted at Faizabad district head Quarter, a very important person or a distinguished personality of the district, the meeting shall be called at the earliest for a reference.

(b) If death is of a lawyer, other than member of the association, a family member of a member of Association, retired Judge of Hon'ble High Court or Supreme Court or of a Judicial Officer not posted at the district Head Quarter the meeting shall not be called before 3 pm.

Provided that no quorum shall be necessary for holding a condolence meeting at any time .

Special Subscription If Any

(9) Every member shall also have to pay such special subscription as may be made payable under any resolution passed by general body of the Association, within specified time which shall be utilized for the purpose concerned.

संघ के द्वारा रखी जाने वाली पंजिकाएं

29. 1. सदस्यों की तीन पंजिकाएं।
   (अ) सामान्य/आजीवन सदस्य
   (ब) अनिवासी सदस्य
   (स) संघ के कल्याणकारी योजनाओं के लिए सदस्यों के पता टेलीफोन नं0 हस्ताक्षर सहित।

2. संघ की बैठकों की कार्यवाही की मिनट्स बुक (कार्यवाही पुस्तिका) जिसमें बैठक का समय दिनांक उपस्थित सदस्यों का नाम तथा बैठक की कार्यवाही का विवरण।

3. कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाही हेतु एक पुस्तिका तथा संघ द्वारा नियुक्त उपसमितियों की पुस्तिका।

4. सामान्य सदन अथवा कार्यकारिणी अथवा अन्य समितियों की सूचना पुस्तिका।

5. एक स्टाक बुक (भण्डारण पुस्तिका)

6. एक शिकायत/सुझाव एवं आख्या पुस्तिका।

7. संघ द्वारा किये गये पत्र व्यवहार पत्रों की प्रतियों सहित पत्र व्यवहार पुस्तिका।

8. चपरासी पुस्तिका।

9. एक प्रेषण पुस्तिका।

10. एक विधि व्यवसायियों के लिपिकों की पुस्तिका।

11. एक पत्रावली जिसमें संघ के द्वारा प्राप्त समस्त संबाद और पत्र, उनके निस्तारण की तिथि सहित।

12. एक पुस्तिका जिसमें संघ के सदस्यों को चन्दे का बकाया और अन्य देयों को जमा करने के लिए दी गयी नोटिस की प्रतियां होंगी।

13. एक पत्रावली जिसमें सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव होंगे।

14. दैनिक नकद पुस्तिका (कैशबुक)।

15. बजट लेजर (बजट वही)।

16. चन्दा पुस्तिका।

17. मुंशियों के हाल में चन्दे का रजिस्टर।

Registers To Be Maintain By The Association

29.(1) Three registers of members (a) ordinary/life member (b) non resident member (c) for welfare scheme of the association with their respective address with Telephone No. and their signatures.

(2) A minute book of proceedings of meetings of the Association. containing the date and time of the meeting, the name of the members present and details of proceedings of the meetings.

(3) A minute book of proceedings of meetings of the Executive Committee and of all Sub-Committees appointed by the Association.

(4) A notice book for entering notices about meetings of the general body or of the Executive Committee, or of other sub-committees;

(5) A stock-book.

(6) A suggestion, complaint and report book.

(7) An aquittance roll.

(8) A correspondence register containing copies of all letters sent by the Association.

(9) A peon book.

(10) A dispatch book.

(11) A legal practitioner's 'Clerks' Register.

(12) A file containing all letters and the communications received by the Association and the date of their disposal.

(13) A book containing copies of notices issued to members for payment of arrears of subscription and other dues.

(14) A file containing all requisitions received from members.

(15) Daily Cash-Book.

(16) Budget-Ledger.

(17) Subscription Register.

18. साइकिल एवं बाक्स का रजिस्टर।

19. अर्थदण्ड पुस्तिका।

20. आरक्षित पुस्तक पंजिका।

21. रसीद पुस्तिका।

22. बैंक खाता पुस्तिका।

23. भुगतान के लिए प्राप्त होने वाली विलों को रखने वाली पत्रावली।

24. एक पत्रावली जिसमें संघ के खर्च से सम्बन्धित समस्त रसीदें व बाउचर होंगे। हालांकि एक रूपये तक के खर्चे के लिए किसी बाउचर की आवश्यकता नही होगी। यदि खर्चे की जांच मंत्री द्वारा कर ली गयी हो।

25. कोई अन्य रजिस्टर या पुस्तिका या पत्रावली जिसे रखना संघ के महामंत्री, कार्यकारिणी या सामान्य सदन आवश्यक समझे।

26. अधिवक्ताओं के मोबाइल नम्बर सहित टेलीफोन पंजिका।

30. संघ के द्वारा संघ की सदस्यता हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र को भरे तथा उसके अंकित घोषणा पर हस्ताक्षर करें तथा प्रवेश शुल्क 250/–रु0 या जैसा सामान्य सदन द्वारा समय–समय पर बढ़ोत्तरी की जाय, जमा करें।

31. सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक है कि वह संघ के महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित परिचयपत्र अपने पास रखे जिसके लिए उनके द्वारा एक निश्चित राशि अदा की जायेगी तथा दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ परिचय पत्र के लिए दिये जायेंगे।

32. प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रवेश के लिए अपना आवेदन वायस लेना चाहता है इस आशय का महामंत्री को सम्बोन्धित प्रार्थना पत्र उसकी सदस्यता की घोषणा होने के पूर्व किसी भी समय दे सकता है। किन्तु परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् नही। संघ के महामंत्री के द्वारा ऐसा प्रार्थनापत्र नियम 33 के उपबन्धों के अधीन स्वीकार कर लिया जायेगा। एक व्यक्ति जिसका प्रवेश आवेदन पत्र वापस लिया गया है और जो पुनः प्रवेश के लिए किसी समय आवेदन करता है तो उसे पूर्व में प्रार्थनापत्र वापस लेने

(18) Subscription for Clerk's hall register.

(19) Cycle and Box Register.

(20) Penalty of books register.

(21) Reserved books register.

(22) Receipt-Book.

(23) Bank Pass-Book.

(24) A file containing bills received for payment.

(25) A file containing all receipts and vouchers in respect of expense incurred by the Association. Provided that no voucher will be necessary to the limit of Re.1/-if the expenditure is verified by the Secretary.

(26) Any other Register or file considered necessary by the Secretary, the Executive Committee, or the General Body of members.

(27) Telephone directory with mobile numbers of Advocates.

*30. The association shall supply an application form, for membership and the candidates are expected to fill the Application form and sign the declaration contained therein and also deposit admission fee of Rs. 250/= or as enhanced by the General Body from time to time.

*31. Every person applying for membership shall be required to have an identity card duly signed by Secretary of the Bar Association. A sum of rupees 15/- or as enhanced by the General Body from time to time shall have to be paid by them along with two pass-port size photographs for identity card.

*32. Any candidate, who wants to withdraw his application for admission, may apply in writing to the Secretary to that effect at any time before the announcement of the result of his membership but not afterwards. Every such application shall be allowed by the secretary subject to the provision contained in Rule 33,

की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

33. प्रत्येक व्यक्ति जो प्रवेश पाने में असफल रहा है अथवा जिसका प्रवेश प्रार्थनापत्र सामान्य/आजीवन या गैर व्यवसायी सदस्य के रुप में वापस हो गया है, को उसके द्वारा जमा किया शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परन्तुक यह है कि प्रवेश प्रार्थनापत्र वापस लेने की दशा में नियम 8 के सन्दर्भ में अभ्यर्थी को जमा किये गये शुल्क में से 250/– अर्थदण्ड घटाकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

34. संघ के द्वारा अनुसूची–3 के अनुसार विशेष राहत कोष के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ भरा जायेगा।

35. उपरोक्त नियम दिनांक 01.05.2011 से प्रभावी होंगे।

टिप्पणी – संख्या में परिवर्तन 28.03.2017 से प्रभावी।

*****

विशेष टिप्पणी :
किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

A person whose application for admission, has been withdrawn and who applies again for admission at any time shall mention the date of the withdrawal of his previous application.

*33. Any person who fails to be admitted or whose application for admission as ordinary /life or non resident member is withdrawn shall be entitled to refund of the fees deposited by him at the time of his applying for admission.

Provided that in the case of withdrawal of an application for admission referred to in Rule 8 the candidate shall be entitled to a refund of the fees deposited by him minus Rs. 250/- as penalty.

*34. The Association shall supply an application form per schedule 3rd for special relief fund,which will be filed along with passport size photo of applicants.

*35. The above rules shall come in force on 01-05-2011.

Note* Numbering changed w.e.f 28-03-2017

*****

SPECIAL NOTE :
English Edition will prevail over the Hindi Edition in case of any explanation.

SCHEDULE-1

Recent Photograph Applicant

APPLICATION FOR ADMISSION AS MEMBER OF

THE BAR ASSOCIATION

(Under Rule - 7)

Serial No.

1. THAT the applicant wishes to become the member of the Bar Association as ordinary / non resident member / life member.
2. THAT the application of applicant has been proposed and seconded by continuing Ordinary member of the association for last 5 year.
3. THAT the applicant neither applied nor intends to obtain the ordinary membership of any other association than this.
4. THAT the applicant is actively and regularly practicing in the court, the Association of which he wishes to become the member.
5. THAT the particulars of this enrolment with Bar Council of U.P. are given here under :-

(1) Name of the applicant (in capital letter)..

(2) Date of birth .... (in words) ....

(3) Father's Name of applicant..

(4) Mother's Name of applicant..

(5) Permanent address of the applicant..

....

(6) Local address of the applicant..

....

(7) Phone No. .... Mobile No. ....

(8) Qualification :

High School Year ☐☐☐☐ Intermediate Year ☐☐☐☐

Graduation .... Year ☐☐☐☐ Institute/University........

L.L.B./Other .... Year ☐☐☐☐ Institute/University........

(Please attach self attested copy of the High School marksheet with certificate, permanent address proof, degree L.L.B. & Registration certificate of Bar Council of U.P.)

(9) Bar Council of U.P. Enrollment No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(Please attach self attested copy of Certificates)

Registration No. B.A.F. ☐☐☐☐ Date ☐☐☐☐☐☐☐☐

(10) Name of the association, if any, of which he is an honorary or nonresident member ....

Proposed - Name of Advocate.. Signature..........

UP Bar Council No. ☐ of Year ☐

BAF No. ☐ of Year ☐

Seconded by- Name .... Signature..........

UP Bar Council No. ☐ of Year ☐

BAF No. ☐ of Year ☐

(Proposer and Seconder should be member of BAF at least for 5 years)

6. THAT the applicants name finds place at serial no....................on the role of advocates regularly practicing in the court prepared by the secretary of the Bar Association duly approved by the executive committee.
7. THAT the applicant has not been convicted for any offence related to moral turpitude nor is involved in any criminal case pending under the provisions of the I.P.C./Cr.P.C.
8. THAT the applicant is not facing any trial before the Bar Council of U.P. for professional misconduct/any other misconduct under Section 35 of the ADVOCATES ACT, 1961 nor has been convicted.
9. THAT the applicant has also read over and understood the Rules governing the professional misconduct by the Bar Council of U.P. at the time of enrolment and under takes to adhere to it.
10. THAT the applicant is herein submitting the Admission Fee as well as undertakes to pay the Membership Subscription of the Association regularly as and when it falls due and in case his membership dues exceeds for more than 3 months, he will be deemed to have surrendered his Membership of the Association and the same shall be deemed to have ceased after the conclusion of one month beyond 3 months unless the dues are cleared.
11. THAT the applicant is a Member and has paid mandatory fees under the Bar Council of India Advocates Welfare Fund Rule 40 of the Bar Council of India Rules.
12. THAT the applicant has read over the BYE LAWS framed by the Bar Council of U.P. and adopted by the Bar Association, Faizabad and he undertakes to act as per the provisions of the BYE LAWS and incase of violation of any provision the Bar Association, Faizabad will be entitled to cancel my Membership.
13. THAT the applicant further commits that in case of violation of any

provision of BYE LAWS deliberately, he can be tried by the Bar Council of U.P. under Section 35 of the ADVOCATES ACT, 1961.

14. THAT the applicant has personally enquired and verified that the Bar Association, Faizabad for which he proposes for Membership is affiliated to the Bar Councilof U.P., and has adopted and obtained registration as per the MODEL BYE LAWS provided by the Bar Council of U.P.

15. THAT the applicant declares that he has not obtained the memberships of any other Association and in any case he is not availing voting right in any other Association to which otherwise he is entitled to be a member under BYE LAWS.

16. THAT the applicant hereby declares that he has read over the BYE LAWS duly approved by the Bar Council and adopted by the Bar Association duly registered under the provisions of Societies Registration Act. The Registration No. ..... and undertakes that he will abide by such Rules and in case of violation face penal consequences.

17. THAT the applicant undertakes to intimate the President of the Faizabad Bar Association, Faizabad/Secretary, Bar Council of U.P. in case Subsequent to the grant of the Membership of the association if he is involved in any Criminal Case, wherein he has been convicted and in that case my membership will be deemed to have been extinguished.

Date : .....

Place : .....

Signature of Applicant

For Office Use :

1. Application form fee Rs. 500/- for the application as per bye laws.
2. Admission process fee Rs. 2000/- at the time of deposition of form duly filledin.
3. Whether application is allowed, if Yes; then endorese by the appropriate authority on back of paper the request to deposit Rs. 150/- (monthly subscription + cost of Identity Card + cost of Rules) within 2 days.

(Specimen copy of Affidavit on 10 Rs. Stamp)

AFFIDAVIT

To

The President/ Secretary
Faizabad Bar Association
Faizabad

District ..... above and has given personal undertaking application has been made in SCHEDULE - 1 as per Bye Laws of Faizabad Bar Association, Faizabad with consious reading and understanding the same in case of any violation of the provisions mentioned in the Application as well as the Bye Laws framed by the Bar Council of U.P. He shall be deemed to hav e relinquished his membership from the date of such discovery of violation and shall be liable to consequential action mentioned in the Bye Laws. That the deponenet further declares that he / she is neither at present nor in future intend to become ordinary member / life member of any other Association in the state of Uttar Pradesh and also declared that he / she is not engaged in any other business or proffession on the date of application for memberhip of the Association.

Deponent

.....

Verification

I ..... Deponent

is verified all contents of the above affidavit is correct and true in my knowledge. GOD help me.

(Verification date) .....

Deponent

.....

Place .....

Date .....

SCHEDULE -II

Note: I. The applicant shall file an affidavit while applying for membership that each & every details furnished by him are true to his personal knowledge and he undertakes to act as per bye laws. False document on oath will be misconduct within the meaning of Section 35 of Advocates Act.

II. In relation to the Bar Association at district level as well as Tahsil level the qualifier year of the office bearers can be reduced, which will not be in any case more than 5 years that is subject to approval by the Bar Council.

III. Any Resolution passed by any Bar Association in Contravention to the provisions of bye laws without approval of bar council or U.P. deemed to be void.

IV. All such Bar Associations, who have not adopted the bye laws and have not got registration from the Registrar Societies and Chits within the period of three months from the receipt of the Bye Laws will stand disaffiliated.

V. All those advocates who are not members of the Bar Association affiliated to bar council of U.P. shall lose their right of availing the various beneficial / welfare schemes sponsored by the Bar Council of U.P.

VI. Participation in the meeting of the Bar Association and election in violation of the various provisions of the Bye Laws will hold the Election Officer, President and Secretary of that association liable to be "tried for any other misconduct" under section 35 of the Advocates Act, 1961.

VII. The aforesaid Bye-Laws was tentatively approved by the bar council of U.P., vide resolution No. 2389/05 in its meeting dated 09-01-2005 and after certain modification confirmed vide resolution in the meeting dated 12-02-2005. Not-withstanding any thing contained to the contrary else wherein these rules, the membership obtained or offices held by any person under the provision of the old bye laws/ rules immediately in force before the amendments contained herein

shall continue to remain in force for all purposes till or subject to the period provided under rules.

Explanation I: For the time being those who applied on the prescribed form will be deemed to be ordinary member for all purposes.

Explanation II: The existing member of the association who resolve to adopt the Model Bye Laws shall continue to be member of the Association subject to their filling / declaration on the prescribed forms as per provisions made in the Modal Bye Laws for membership.

Explanation III. If any member adopts for the ordinary membership of any other Bar Association , he will be entitled to his length of membership of earlier Bar Association for the purpose his seniority in New Bar Association, how ever such change of membership will not be allowed for a period of 2 years.

*****

Declaration

That the deponent is the applicant named above and has given personal undertaking and hereby declares and swears on oath vide this Notary Affidavit that the averments in the application has been made with conscious reading and understanding the same and in case of any violation of the provisions mentioned in the Application as well as the Bye Laws framed by the Bar Council of U.P., he shall be deemed to have relinquished his membership from the date of such discovery of violation and shall be liable to consequential action mentioned in the Bye Laws.

SCHEDULE-III

Form

(See Rule-20(3)

of Faizabad Bar Association Specially

No.

To

The President/ Secretary
Faizabad Bar Association
Faizabad

Application for membership of Special Relief Fund Scheme

Passport size recent photo

(1) Full Name ....
(in block letters)
(2) Father's Name...
(3) Address : (A) Permanent Address ....
....
(B) Local Address...

(4) Date of Birth :
(Supported evidence, if any)
(5) **ENROLMENT** number and date of **ENROLMENT** with Bar Council of U.P. (Supported by evidence) :
(6) Number and date of **ENROLMENT** with Faizabad Bar Association :
(7) Do you practice at Faizabad Headquarter? :
If yes, mention The place of your sitting
(8). Have you ever been debarred from the primay membership of Faizabad Bar Association? :
(If so, mention the period and ground)
(9) Mention the Name of Advocate under whom you received training or are working under him :
(10) Do you earn money from any source other than legal profession? :
(Such as Partnership Business, Agency, Transporter, Contractorship running

and Shop, Agent of any Insurance Company or any other Financial Institution, Property Dealing, Money Lending, Typing Work etc.)?
If so, give details
(11) Whether you have ever been in service before joining Legal Profession? If so, give details
(12) Whether you have joined Legal practice after retirement and are getting pension? :
(13) Whether you are a Govt. Counsel (D.G.C./ A.D.G.C. or Panel Lawyer) :
(14) Name and age of your dependants (Give relationship also) :
(15) Name & relation of nominee, if any, to whom amount payable on your death, may be given :
(16) Certificate by two members of this Association of not Less than fifteen year's standing to the effect that the applicant is actively practicing at Faizabad Head Quarter :

(1) Name...
Shed No. : ....
F.B.A. Enrolment No. : ....
B.C. Enrolment No. : .... **Signature**

(2) Name...
Shed No. : ....
F.B.A. Enrolment No. : ....
B.C. Enrolment No. : .... **Signature**

N.B. Giving a false certificate would make the concerned person liable to forfeit his claim under.
M.R.F. & S.M.R.F. schemes.

Verification :

I ....do solemnly affirim that the particulars, furnished above are true and correct.

Dated :

Signature of Applicant